




भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड



विस्तृत केंद्रीयकृत रोजगार सूचना
सीईएन सं. 06/2024



विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (पूर्व स्नातक)
के पदों के लिए भर्ती



बिचौलियों, दलालों और जॉब रैकेटर्स से सावधान रहें ।

विषयसूची

| क्रम सं. | अंतर्वस्तु | पृष्ठ सं. |
|----------|--|-----------|
| | केंद्रीकृत रोजगार सूचना सं. 06/2024 गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (पूर्व स्नातक) पदों के लिए | 1 |
| | महत्वपूर्ण तिथियां | 1 |
| A. | एक नज़र में रिक्तियों का विवरण | 2 |
| B. | महत्वपूर्ण निर्देश - आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और प्रस्तुति | 2 |
| C. | महत्वपूर्ण निर्देश- परीक्षा प्रक्रिया | 3 |
| D. | विस्तृत सीईएन | 4 |
| 1.0 | सामान्य निर्देश | 4 |
| 2.0 | रिक्तियाँ | 7 |
| 3.0 | पदों के लिए चिकित्सा मानक | 7 |
| 4.0 | राष्ट्रीयता/ नागरिकता | 8 |
| 5.0 | आयु सीमा | 8 |
| 6.0 | शैक्षणिक योग्यताएँ | 10 |
| 7.0 | परीक्षा शुल्क | 10 |
| 8.0 | लंबवत (वर्टिकल) आरक्षण | 11 |
| 9.0 | क्षैतिज (होरिजॉटल) आरक्षण | 13 |
| 10.0 | भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) | 14 |
| 11.0 | मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) | 15 |
| 12.0 | सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) | 20 |
| 13.0 | भर्ती प्रक्रिया | 20 |
| 14.0 | अंकों का सामान्यीकरण | 24 |
| 15.0 | आवेदन कैसे करें | 25 |
| 15.1 | ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण | 27 |
| 15.2 | आवेदन में सुधार करना | 31 |
| 15.3 | अमान्य आवेदन/निरस्तआवेदन | 31 |
| 16.0 | सीबीटी, टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए हॉल टिकट (ई-बुलावा पत्र) | 32 |
| 17.0 | मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों के प्रारूप | 33 |
| 18.0 | छद्मरूपण/ तथ्यों को छिपाना - चेतावनी | 35 |
| 19.0 | विविध | 35 |
| 20.0 | विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड का विवरण, उनके वेबसाइटों का पता निम्नालिखित है | 37 |
| 21.0 | इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) में प्रयोग हुई संक्षिप्तियाँ | 38 |
| | चेतावनी | 40 |

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना



भारत सरकार, रेल मंत्रालय



रेलवे भर्ती बोर्ड

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना सं. 06/2024 गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (पूर्व स्नातक) पदों के लिए

महत्वपूर्ण तिथियां

| | |
|---|--------------------------|
| रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट में प्रकाशन की तिथि | 20.09.2024 |
| आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रारंभ | 21.09.2024 |
| शुल्क भुगतान सहित आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण की समाप्ति | 20.10.2024 को 23.59 बजे |
| अंतिम तिथि तारीख अर्थात् 20.10.2024 को 23.59 बजे के बाद शुल्क भुगतान की तिथि | 21.10.2024 से 22.10.2024 |
| संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो के लिए तिथि (कृपया नोट करें : 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी संशोधित नहीं किये जा सकेंगे) | 23.10.2024 से 01.11.2024 |

सीबीटी और भर्ती प्रक्रिया के अन्य चरणों की तारीखें समय-समय पर इस नोटिस के पैरा डी 20.0 में सूचीबद्ध रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की वेबसाइटों के माध्यम से सूचित की जाएंगी।

आरआरबी द्वारा भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में पात्र भारतीय नागरिकों और अन्य नागरिकों से इस सीईएन के पैरा डी 4.0 में उल्लिखित अनुसार गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) के पदों अर्थात्

- वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक
- कनिष्ठ लिपिक सह टंकक
- लेखा लिपिक सह टंकक
- ट्रेन लिपिक

के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड को दिनांक 20.10.2024 को 23.59 बजे तक ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

A. एक नज़र में रिक्तियों का विवरण

B. 12वीं (+2 स्तर) या उससे समकक्ष की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा 01.01.2025 अनुसार (सीईएन में विवरण अनुसार 3 वर्ष की छूट सहित) 18 से 33 वर्ष के बीच की आयु के पूर्व स्नातक पद

| अनु सं. | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | प्रारंभिक वेतन (रु.) | चिकित्सा मानक | सामान्यतः निर्धारित आयु (01.01.2025 अनुसार) | इस सीईएन के लिए लागू आयु (01.01.2025 अनुसार) | कुल रिक्तियां (सभी आरआरबी) |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|--|----------------------------|
| 1 | वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक | 3 | 21700 | B-2 | 18-30 वर्ष | 18-33 वर्ष | 2022 |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | 19900 | C-2 | 18-30 वर्ष | 18-33 वर्ष | 361 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | 19900 | C-2 | 18-30 वर्ष | 18-33 वर्ष | 990 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | 19900 | A-3 | 18-30 वर्ष | 18-33 वर्ष | 72 |
| कुल योग | | | | | | | 3445 |
| आरआरबी-वार और रेलवे जोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक 'बी' में दिया गया है। | | | | | | | |

• इसमें कोविड-19 महामारी के कारण केवल एक बार लागू निर्धारित उपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट शामिल है।

• नोट: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण तथा विभिन्न पात्र श्रेणियों के लिए आयु में छूट इस सीईएन में निहित विवरण के अनुसार लागू होगी।

B. महत्वपूर्ण निर्देश – आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और प्रस्तुति

1) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात् 20.10.2024 तक पद(पदों) के लिए निर्धारित सभी पात्रता शत को प्राप्त/परिपूर्ण करते हैं। निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों को आवेदन नहीं करना चाहिए।

2) ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवारों को आरआरबी की वेबसाइटों पर उपलब्ध सीईएन में सभी निर्देशों और सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ लेने की सलाह दी जाती है।

3) उम्मीदवारों को इस सीईएन के पैरा डी 20.0 में बताए अनुसार केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर ही जाने की तथा फर्जी वेबसाइटों और नौकरी दिलाने वाले जालसाजों से बहुत सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

4) उम्मीदवारों के पास अपना स्वयं का मोबाइल नंबर, वैध और सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए तथा उसे (अर्थात् मोबाइल और ई-मेल) भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि आरआरबी भर्ती पूरी तरह समाप्त होने तक सभी भर्ती संबंधी संचार केवल एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ही भेजेंगे। आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।

5) आवेदन, केवल ऑनलाइन और पैरा डी 20.0 पर सूचीबद्ध किए गये रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने होंगे। इस सीईएन में अधिसूचित सभी पदों के लिए चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड हेतु केवल एक आवेदन उस चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड में प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवार सिर्फ एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड को आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस सीईएन के विरुद्ध किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप उसे अयोग्य और वंचित घोषित कर दिया जाएगा।

6) उम्मीदवार को अपनी पात्रता के आधार पर पद मापदंड तालिका (अनुलग्नक-ए) और रिक्ति तालिका (अनुलग्नक-बी) को अवश्य पढ़ना होगा और अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी। उसके बाद ही, उम्मीदवारों को अपनी पात्रता के अनुसार आरआरबी और चुने गए आरआरबी के अंतर्गत पद(पदों) के लिए विकल्प चुनना चाहिए। आरआरबी का एक बार किया गया चयन अंतिम होगा।

7) ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उम्मीदवार की पात्रता पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों को संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड को डाक के माध्यम से आवेदन पत्र या प्रमाणपत्र या उनके फोटोकॉपी के प्रिंटआउट भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके पश्चात्, किसी उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचना गलत होने/सही न होने अथवा संबंधित सूचना को छिपाए जाने अथवा उम्मीदवार द्वारा पद (पदों) के लिए अपेक्षित मानदंड पूरे नहीं किए जाने का संज्ञान होता है, तो उसकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। उम्मीदवार तीन मापदंडों अर्थात्

• चयनित आरआरबी

• ई-मेल आईडी और

• मोबाइल नंबर, के अतिरिक्त आवेदन जमा करने के बाद भी, लेकिन संशोधन विंडो कि अंतिम तिथि तक संशोधन शुल्क के भुगतान करके आवेदन विवरण को संशोधित कर सकते हैं। हालाँकि संशोधित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (01.11.2024) के बाद आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेंगे।

8) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद (पदों) के लिए प्रस्तावित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि यदि नियुक्ति से पूर्व मेडिकल परीक्षण के समय उम्मीदवारों को चयनित पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाये जाने के मामले में, वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

9) सीबीटी के लिए केंद्र/ शहर का आवंटन तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को सीबीटी में उपस्थिति के लिए अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। परीक्षा केंद्र के परिवर्तन का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10) अंतिम क्षण की व्यस्तता से बचने के लिए, उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले पंजीकरण कराएं और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें, क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण के अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट या वेबसाइट पर भारी लोड के कारण संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता/असफलता की संभावना हो सकती है।

उम्मीदवार द्वारा अंतिम तिथि तक उपर्युक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारणों से पंजीकरण करने और/या अपने आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के दौरान:- उम्मीदवारों को 'खाता बनाने' के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही एक खाता बना लिया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस सीईएन के लिए भी आवेदन करने के लिए उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले कोई खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले पहले 'एक खाता बनाना' होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) खाता बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।

C. महत्वपूर्ण निर्देश- परीक्षा प्रक्रिया

1) कदाचार : किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा/सीबीटी में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजते पाया गया, तो रेलवे भर्ती बोर्ड/आरआरबी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) की सभी परीक्षाओं में उपस्थित होने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति पाने से वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। [आपका ध्यान 21.06.2024 से प्रभावी अधिनियम "सार्वजनिक परीक्षा" (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 की ओर आकर्षित किया जाता है], जो sansad.in/legislation/bills पर उपलब्ध है और भारत के राजपत्र dopt.gov.in/whats-new पर भी उपलब्ध है।

(2) **प्रतिबंधित सामग्री:-** परीक्षा हाल के अंदर मोबाइल फोन, ब्ल्यूटूथ, पैन ड्राइव, लैपटाप, कैलकुलेटर, हाथ घड़ी जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण अथवा अन्य कोई संचार उपकरण अथवा पैन/पेंसिल, वालेट/पर्स, बेल्ट, जूते और धात्विक कपड़े या आभूषण इत्यादि लाना सख्त मना है। इन निर्देशों के प्रति किए जाने वाले उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आगे की परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है। उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन सहित की प्रतिबंधित वस्तुएँ साथ न लाने का परामर्श दिया जाता है, **क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए किसी प्रकार का आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है।**

3) **परीक्षा के चरण :** दो चरण के कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) होंगे और उसके बाद "कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट (टीएसटी) जहां भी लागू हो" होगा।

- लेखा लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ लिपिक सह टंकक के लिए टंकण कौशल परीक्षा
- तत्पश्चात्, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा होगी।
- वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक और ट्रेन लिपिक के लिए दो चरणों की सीबीटी के पश्चात् दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा होगी।

4) **बुलावा पत्र :** उम्मीदवारों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए लिंक से शहर और तिथि सूचना, ई-बुलावा पत्र तथा यात्रा प्राधिकार (जहाँ भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा।

6) **विभिन्न चरणों के लिए चयन:**

- द्वितीय चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की रेलवे भर्ती बोर्ड वार चयन रिक्तियों के **15 गुना** के आधार पर होगा।
- कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा जैसे कौशल परीक्षण के लिए चयन द्वितीय चरण सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर रिक्तियों के **8 गुना** (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है) तक की जाएगी। जब कोई उम्मीदवार प्रथम चरण सीबीटी में योग्य हो जाता है और बाद के चरणों के लिए ओबीसी/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी के रूप में शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो उसे बाद के सभी चरणों में क्रमशः ओबीसी/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी के रूप में माना जाता रहेगा।

7) **नकारात्मक अंकन :** सीबीटी में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से **1/3 अंक** प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट दिए जाएँगे।

D. विस्तृत सीईएन

1.0 सामान्य निर्देश

1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों के लिए प्रवेश, उम्मीदवार द्वारा निर्धारित पात्रता शत को पूरा किए जाने के अधीन, पूर्णतः अस्थायी होगा।

1.2 उम्मीदवार को मात्र ई-बुलावा पत्र भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है।

1.3 रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के सभी चरणों में योग्यता प्राप्त करने और दस्तावेज सत्यापन के लिये चुने जाने के बाद ही मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शत का सत्यापन करते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड, उम्मीदवार के अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करने के मामले में भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर सकते हैं और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

1.4 इस अधिसूचना की प्रतिक्रिया में, पद (पदों) हेतु आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता (योग्यताएँ) तथा चिकित्सा मानक (मानकों) सहित अन्य पात्रताओं से स्वयं संतुष्ट हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात् 20.10.2024 तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता है। वे उम्मीदवार पात्र नहीं माने जाएँगे, जिनकी निर्धारित योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, अतः उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

1.5 इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के विरुद्ध सूचना तथा/अथवा तथ्यों में थोड़े बदलाव के साथ एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सीधे रद्द कर दिए जाएँगे तथा ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड तथा रेलवे भर्ती सेल की आगे की सभी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

1.6 जिन उम्मीदवारों को किसी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती सेल द्वारा जीवन भर के लिए या निर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया गया है, जिसकी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसे उम्मीदवार इस अधिसूचना के लिए आवेदन न करें। ऐसे उम्मीदवारों का संज्ञान होते ही भर्ती के किसी भी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

1.7 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का उल्लेख केवल अपने एसएसएलसी/मैट्रिक/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा किसी समतुल्य प्रमाणपत्र के अनुसार ही करना चाहिए।

नाम परिवर्तित होने की स्थिति में उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में केवल अपने परिवर्तित नाम का उल्लेख ही करना चाहिए। तथापि, मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रमाण पत्रों में दिए गए अन्य विवरण अवश्य अनुकूल होने चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से पूर्व होनी चाहिए।

ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना अथवा अन्य कानूनी दस्तावेज़, दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1.8 उम्मीदवार द्वारा भर्ती के सभी स्तर पर सभी दस्तावेज़ों पर रनिंग हैंड राइटिंग में एक समान हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा ये ब्लॉक/ बड़े अक्षरों अथवा असंबद्ध अक्षरों में नहीं होने चाहिए। सीबीटी, कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा इत्यादि के समय विभिन्न स्वरूपों में किए जाने वाले हस्ताक्षरों के परिणामस्वरूप उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

1.9 भाग लेने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर भी परीक्षाओं की तिथियों का प्रकाशन किया जाएगा। सीबीटी, टंकण परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन (यथा लागू) के लिए ई-बुलावा पत्र केवल संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। डाक के द्वारा कोई भी बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-बुलावा पत्र में उल्लिखित सीबीटी केंद्र, तिथि तथा पाली अंतिम है। रेलवे भर्ती बोर्ड बिना किसी कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी/टंकण कौशल परीक्षा और/या अतिरिक्त दस्तावेज़ सत्यापन आदि आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

1.10 केंद्रीकृत रोजगार सूचना में उल्लिखित रिक्तियाँ अस्थायी हैं तथा यह बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं या किसी विशेष रेलवे/इकाइयों/समुदाय/पदों के संबंध में रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बाद में बदल सकती हैं। बाद के स्तर पर भी रेलवे आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं।

रेलवे प्रशासन के पास किसी भी स्तर पर अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी है तथा सभी पर ऐसे निर्णय अंतिम एवं प्रत्येक के लिए बाध्यकारी होंगे। अधिसूचित रिक्तियों रद्द किए जाने की स्थिति में प्रथम चरण की सीबीटी में भाग ले चुके उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों द्वारा भुगतान की गई शुल्क की धन वापसी नहीं की जाएगी। वापसी की राशि के लिए पैरा डी 7.0 देखें।

1.11 पद और / या रेलवे (रेलों) / यूनिट (यूनिटों) के लिए वरीयता : चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के विकल्प, जिनके लिए वे योग्य हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान लिए जाएँगे।

भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर, रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों को केवल योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्ति की स्थिति के अधीन विकल्प के अनुसार पद और रेलवे/यूनिट आवंटित करेंगे। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता/पसंद के अनुसार पैनेल में रख लिया जाता है, तो वे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने के लिए अधिकृत नहीं रहेंगे।

आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट श्रेणियों के लिए ही माना जाएगा। अगर कुछ पदों के लिए गैर-विकल्प को चुना जाता है तो उसके लिए उनकी अनिच्छुकता के रूप में माना जाएगा।

यद्यपि, प्रशासनिक हित में आवश्यक माना जाता है, संबंधित पद की आवश्यकताओं को उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के द्वारा पूर्ण करने के अधीन रेलवे भर्ती बोर्ड भी उम्मीदवारों को पद/रेलवे/ यूनिट को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

उम्मीदवारों के पैनेल में कमी या अन्य आवश्यकताओं के मामले में, आर आर बी उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्प अनुसार यदि, आवश्यकता हो तो **मेरिट सूची से नीचे** के उम्मीदवारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.12 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयन कर लिए जाने मात्र से ही कोई उम्मीदवार रेलवे में नौकरी प्राप्त करने का हकदार नहीं बनता है। रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्य संबंधित जोनल रेलवे/उत्पादन इकाई के सक्षम अधिकारी को योग्य उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करना है, जहाँ से ऐसी अनुशंसा की प्रक्रिया में रिक्तियों तथा पूर्ववृत्त एवं चरित्र सहित सभी मानदंडों के प्रति संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं।

1.13 जहाँ प्रस्तावित हो उन मामलों में चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान केवल लागू वज़ीफ़ा का ही भुगतान किया जाएगा।

1.14 चयनित उम्मीदवारों को रेलवे में कार्यग्रहण के समय यथा लागू प्रतिभूति तथा/अथवा क्षतिपूर्ति बांड भरना होगा।

1.15 सामान्यतः रेल कर्मियों की नियुक्ति, उनके पूर्ण सेवा काल के दौरान, उस रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में ही रहती है, जहाँ उनकी पहली नियुक्ति की गई थी तथा उन्हें किसी अन्य रेलवे अथवा अन्य स्थापना में स्थानांतरण का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

सेवा की अनिवार्यता की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेल कर्मियों को भारत अथवा भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग अथवा रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में स्थानांतरित किया जा सकता है।

1.16 अंतिम रूप से नियुक्त किए जाने वाले चयनित उम्मीदवार प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

1.17 निःशुल्क स्लीपर श्रेणी रेलवे पास केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य होगा। **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, जो यह निःशुल्क यात्रा प्राधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय संबंधित कॉलम में 'हाँ' भरना होगा और वैध जाति प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।** ऐसे उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय दीये गये और अपलोड किए गए वैध जाति प्रमाणपत्र के विवरण के आधार पर, सीबीटी, टंकण परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन इत्यादी जैसे चयन के विभिन्न चरणों में भाग लेने के लिए जारी ई-बुलावा पत्र में मुफ्त शयनयान श्रेणी रेलवे पास भी शामिल होगा। मुफ्त यात्रा प्राधिकार प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम भरें इसके बिना उनका यात्रा प्राधिकार यात्रा के लिए तथा आरक्षण के लिए मान्य नहीं होगा।

आरक्षण तथा यात्रा के दौरान, आरक्षण क्लर्क तथा/अथवा टिकट जाँच करने वाले कर्मचारी, उम्मीदवार की यथार्थता के सत्यापन के लिए उससे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के वैध प्रमाणपत्र की माँग कर सकेंगे। इस यात्रा प्राधिकार के दुरुपयोग किए जाने वाले किसी प्रयास के परिणामस्वरूप, उम्मीदवार को रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती सेल की आगे की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

1.18 रेलवे भर्ती बोर्ड आवश्यकता समझे जाने पर तथा लागू किए जाने की स्थिति में सीईएन के अंतर्गत भर्ती के नियमों में किसी प्रकार की अनुवर्ती परिवर्तन/संशोधन/संवर्धन का समावेश करने का अधिकार अनामत रखता है।

1.19 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की सहमति से उसके द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी संगठनों के साथ, संबंधित संगठनों की भर्ती प्रक्रिया के लिए उन के साथ साझा किया जा सकता है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरते समय इस आशय से संबंधित सहमति अन्यथा असहमति दे सकते हैं।

2.0 रिक्तियाँ

2.1 इस सीईएन में शामिल विभिन्न पदों के पद मानदंडों अर्थात (योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता इत्यादि) **अनुलग्नक-ए** में शामिल हैं।

2.2 एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूडी के लिए रिक्त पदों के लिए आरक्षण सहित सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे/यूनिट और पदवार रिक्तियाँ **अनुलग्नक-बी** में शामिल हैं।

2.3 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार यह रिक्तियाँ बढ़ या घट सकती हैं (कृपया सामान्य निर्देश का पैरा 1.10 देखें)।

3.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक :

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा (परीक्षाएँ) उत्तीर्ण करनी होंगी, जो उम्मीदवार द्वारा चयनित पद (पदों) से संबंधित काय को, उनके द्वारा कार्यान्वित कर सकने की चिकित्सा योग्यता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है।

रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के लिए दृष्टि तीक्ष्णता मानक एक अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंड है। चिकित्सा मानक नीचे उल्लिखित है :-

| क्र. सं. | चिकित्सा मानक | सामान्य फिटनेस | दृष्टि तीक्ष्णता |
|----------|---------------|------------------------------|---|
| 1 | ए-3 | शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ | दूर दृष्टि : 6/9, 6/9 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की पावर 2डी से अधिक न हो)। नजदीक की दृष्टि : एसएन0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के रंग दृश्यता, बायनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना है। |
| 2 | बी-2 | शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ | दूर दृष्टि : 6/9, 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की पावर 4 डी से अधिक न हो)। नजदीक की दृष्टि : जब पढ़ना तथा नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो तब एसएन 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के साथ तथा दृश्यता (बायनोकुलर दृश्यता) इत्यादी परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना है। |
| 3 | सी-2 | शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ | दूर दृष्टि : 6/12, चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के। नजदीक की दृष्टि : जब पढ़ना तथा नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो तब एसएन 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के। |

नोट: उपर्युक्त चिकित्सा मानक केवल सूचक हैं तथा ये विस्तृत नहीं हैं तथा ये उम्मीदवारों पर सामान्यतः लागू नहीं होते हैं। उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड 1 के अध्याय 5 का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है जिसे www.indianrailway.gov.in → रेल मंत्रालय → रेल बोर्ड → स्वास्थ्य निदेशालय अंतर्गत देखा जा सकता है।

- जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रेक्टरी दोष में सुधार के लिए लेसिक सर्जरी अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है, वे इस सीईएन में ए3 के चिकित्सा मानकों वाले पदों (अर्थात ट्रेन लिपिक) के लिए योग्य नहीं हैं।

- जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रेक्टरी दोष में सुधार के लिए लेसिक सर्जरी अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है, वे अनुलग्नक – VIII में रखे गये दिनांक 25.08.2022 के रेलवे बोर्ड के पत्र 2022/H/5/1/NER/Dalbir में वर्णित शर्त (शत) के अनुसार बी-2, सी-2 के चिकित्सा मानकों वाले पद (पदों) के लिए योग्य हैं।

3.2 भूतपूर्व सैनिकों पर भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम I के पैरा 534 में वर्णित चिकित्सा मानक लागू होंगे, जिन्हें www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MMVol-I/chapter5.pdf पर देखा जा सकता है।

3.3 पीडब्ल्यूबीडी के लिए भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम I के पैरा 511 (7) में वर्णित चिकित्सा मानक लागू होंगे, जिन्हें www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MMVol-I/chapter5.pdf पर देखा जा सकता है।

3.4 उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा चुने गए पद (पदों) के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार वे पात्र हैं। चयनित पदों के लिए निर्धारित मेडिकल उपयुक्तता उत्तीर्ण करने में विफल होने की स्थिति में उम्मीदवार को उस पद के लिए पैनल में रखने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा और न ही कोई वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

4.0 राष्ट्रीयता/ नागरिकता:

4.1 उम्मीदवार निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए :

(a) भारत का नागरिक, अथवा

(b) नेपाल का मूल निवासी, अथवा

(c) भूटान का मूल निवासी, अथवा

(d) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से निवास करने की मंशा से आया है अथवा

(e) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा, तंजानिया गणराज्य, झाम्बिया, मालावी, जाइरे, इथोपिया तथा वियतनाम से आकर भारत में स्थायी निवासी की तरह निवास कर रहा है।

(f) बशत यह कि उपर्युक्त श्रेणी (b),(c),(d) तथा (e) की श्रेणी से संबंध उम्मीदवारी वाले व्यक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

4.2 ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाना आवश्यक हो, तथापि भारत सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है।

5.0 आयु सीमा :

5.1 रिक्ति तालिका में दिए गए सभी निर्धारित पद (पदों) के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु का आकलन **01.01.2025** की तिथि के अनुसार किया जाएगा।

5.2 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर-5 तथा स्तर-6 (स्नातक स्तरीय पदों) के लिए उम्मीदवारों की जन्मतिथि नीचे दिए गए तिथियों (दोनों तिथियाँ मिलाकर) के बीच होगी :

| आयु वर्ग | जन्मतिथि की ऊपरी सीमा(इससे पूर्व नहीं) | | | जन्मतिथि की निचली सीमा (इससे पश्चात् नहीं) |
|----------|--|---------------------------|------------|---|
| | अनाऔर इडब्ल्यूएस | अपिव (गैर क्रीमी लेयर) | अजा / अजजा | सभी समुदाय/श्रेणी के लिए |
| 18 से 33 | 02.01.1992 | 02.01.1989 | 02.01.1987 | 01.01.2007 |

नोट्स: i. इस तालिका में अजा, अजजा और अपिव- गैर क्रीमी लेयर के लिए देय जन्मतिथि की सीमा में समुदाय आयु छूट शामिल है।

ii. तालिका में पैरा डी 5.3 पर दिए उल्लिखित समुदाय/ श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार यथा लागू आयु में छूट के पात्र होंगे।

5.3 तथापि ऊपरी/अधिकतम आयु सीमा में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित श्रेणियों/समुदायों को अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर छूट प्रदान की जाएगी।

| क्र. सं. | समुदाय/ श्रेणी | | पूर्व स्नातक पदों के लिए ऊपरी आयु (या) अधिकतम ऊपरी आयु में छूट |
|----------|--|---------------------------|--|
| 1 | अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल) | | 3 वर्ष |
| 2 | अनुसूचित जाति / जनजाति | | 5 वर्ष |
| 3 | भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात् 6 माहसे अधिक की सेवा की है | अना और इडब्ल्यूएस | 3 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद) |
| | | अन्य पिछड़ा वर्ग - एनसीएल | 6 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद) |
| | | अजा/ अजजा | 8 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद) |
| 4 | पीडब्ल्यूबीडी अना और इडब्ल्यूएस | अना और इडब्ल्यूएस | 10 वर्ष |
| | पीडब्ल्यूबीडी अन्य पिछड़ा वर्ग - एनसीएल | अन्य पिछड़ा वर्ग - एनसीएल | 13 वर्ष |
| | पीडब्ल्यूबीडी अजा/ अजजा | अजा/ अजजा | 15 वर्ष |
| 5 | वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप में समूह 'सी' तथा पूर्ववर्ती समूह 'डी' में कार्यरत हैं, रेलवे में निरंतर अथवा खंडित भागों में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ आकस्मिक श्रमिक तथा एवजी का कार्य कर रहे हैं। | अना और इडब्ल्यूएस | आयु के 40 वर्ष |
| | | ओबीसी - एनसीएल | आयु के 43 वर्ष |
| | | एससी/एसटी | आयु के 45 वर्ष |
| 6 | रेलवे कैंटीन को-ऑपरेटिव सोसाइटी और इन्स्टिट्यूट जैसे रेलवे संस्थान के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय में काम करने वाले उम्मीदवार | अना | सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो। |
| | | ओबीसी - एनसीएल | सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो। |
| | | एससी/एसटी | सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो। |
| 7 | विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली, लेकिन दुबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार | अना | आयु के 38 वर्ष |
| | | ओबीसी - एनसीएल | आयु के 41 वर्ष |
| | | एससी/एसटी | आयु के 43 वर्ष |

नोट : कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट को अधिकतम आयु सीमा में जोड़ा जाएगा

5.4 अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए आयु छूट लागू नहीं होगी।

5.5 अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को वही आयु छूट प्रदान की जाएगी, जो अनारक्षित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए लागू है।

5.6 यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो वह अधिकतम आयु में छूट प्राप्त करेगा, जिसके लिए वह योग्य है।

5.7 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज़ की गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए, जो उसके मैट्रिक/एसएसएलसी/दसवीं अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज़ की गई है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.0 शैक्षणिक योग्यताएँ :

इस सीईएन के अनुलग्नक-ए में दर्शाए गए अधिसूचित पदों के लिए, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। उन उम्मीदवारों को आवेदन नहीं करना चाहिए, जिनका निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है।

7.0 परीक्षा शुल्क :

इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत आवेदन करनेवाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा :-

| क्र. सं. | उम्मीदवार का समुदाय | शुल्क (रु.) |
|----------|---|-------------|
| 1 | नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग के लिए। 1ले चरण की सीबीटी में सम्मिलित होने पर शुल्क रु. 500/- में से रु.400/- की शुल्क राशि पर लागू बैंक प्रभार काटकर, शेष राशि की वापसी की जाएगी। | 500 |
| 2 | पीडब्ल्यूबीडी / महिलाएं / ट्रांसजेंडर / भूतपूर्व सैनिक / और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक/ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। 1ले चरण की सीबीटी में सम्मिलित होने पर शुल्क रु. 250/- में लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी की जाएगी। | 250 |

7.1 शुल्क भुगतान के तरीके

a. डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से शुल्क का ऑनलाइन भुगतान। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।

b. उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क भुगतान का कोई विकल्प नहीं होगा।

c. निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि एवं समय :

ऐसे उम्मीदवार, जो दिनांक 20.10.2024 के 23.59 बजे तक पंजीकरण किए हैं, उन्हें ऑनलाइन भुगतान दिनांक 22.10.2024 के 23.59 बजे तक करने की अनुमति है। भुगतान करने के बाद, इन उम्मीदवार को अपना आवेदन दिनांक 22.10.2024 के 23.59 बजे या उससे पहले जमा करना चाहिए।

चुने गए ऑनलाइन भुगतान विधि के माध्यम से शुल्क भुगतान के लिए सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।

7.3 इस सीईएन की ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि तक किसी प्रकार का संशोधन/विलोपन/संवर्धन, जो हो तो, प्राप्त होने के आधिन मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा जोरास्ट्रियन (पारसी) सहित के अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों में शामिल होंगे।

परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा करते हुए यह उल्लेख करना होगा कि वे उपर्युक्त में से किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध हैं तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

7.4 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे होते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम हो। ऐसे उम्मीदवारों के पास आवेदन की तिथि को निर्धारित प्रारूप में अथवा आवेदन जमा करने के पहले जारी करने वाले प्राधिकारी के पत्र शीर्ष लेटर हेड पर जारी वैध आय प्रमाणपत्र होना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जमा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। बीपीएल कार्ड तथा इज़्जत एमएसटी धारक उम्मीदवार भी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शुल्क में रियायत पाने के पात्र होंगे। शुल्क में रियायत का दावा करने वाले इबीसी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रासंगिक प्रमाणपत्र/कार्ड संख्या, जारी तिथि, जारीकर्ता प्राधिकारी, स्थान तथा जारीकर्ता राज्य संबंधित जानकारी भरनी चाहिए।

ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं और ईबीसी को ओबीसी के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ईबीसी उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायत के हकदार हैं, नौकरी आरक्षण के नहीं।

7.5 1ले चरण सीबीटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन भुगतान (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई) के मामले में इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वे परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (रु.400/- या रु. 250/- जैसा लागू हो) उसी खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, जिस खाते से उन्होंने भुगतान किया है या वे वैकल्पिक रूप से लाभार्थी का खाता प्रदान करते हैं, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके संबंध में उन्होंने लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान किया है। परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा, लागू बैंक शुल्क की विधिवत कटौती के पश्चात् वापस किया जाएगा।

7.6 जिन उम्मीदवारों का आवेदन अधूरा है या जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है या जिनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, उनके द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8.0 लंबवत (वर्टिकल) आरक्षण :

8.1 इस सीईएन में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) – गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के संबंध में यथा लागू एवं स्वीकार्य तथा विद्यमान नियमों के तहत माँगकर्ता रेलवे द्वारा दी गई सूचना, रिक्ति तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

8.2 किसी भी समुदाय के सभी उम्मीदवार अनारक्षित उम्मीदवारों के मापदंडों को पूरा किए जाने की शर्त पर अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारणीय होंगे। तथापि, विशिष्ट समुदायों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्दिष्ट रिक्तियों के प्रति केवल संबद्ध समुदायों के उम्मीदवारों के संबंध में ही विचार किया जाएगा।

8.3 आरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-गैरक्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय **अनुलग्नक-I** (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए) तथा **अनुलग्नक-II** (अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इस के अलावा, अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 तथा दिनांक 09.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना (आरईएस) तथा दिनांक 27.05.2013, दिनांक 13.09.2017 एवं इस सीईएन की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगामी संशोधनों, यदि कोई हो, में उल्लिखित व्यक्तियों/ वग (क्रीमीलेयर) से संबद्ध नहीं हैं। उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी संबद्धता अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल) से होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अन्य पिछड़ा वर्ग का वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इस के अलावा, उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, समुदाय प्रमाणपत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रस्तुत किए जाने के अलावा **अनुलग्नक II ए** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में यह घोषणा भी करनी होगी कि वे क्रीमी लेयर से संबद्ध नहीं हैं। प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र, दस्तावेज़ सत्यापन के समय एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा न किए जाने की स्थिति में आरक्षण स्थिति (अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) से संबंधित उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन/उम्मीदवारी केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की पात्रता शत के अनुरूप सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के लिए विचारणीय होगी।

8.4 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण:

वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल आरक्षण योजना के अन्तर्गत नहीं आते और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय रु. 8 लाख (आठ लाख रुपए) से कम है, उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में की जाए, ताकि उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ मिल सके। आय में आवेदन किए गए वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों, यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से हुई आय भी शामिल होगी। साथ ही, उन उम्मीदवारों की पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में नहीं की जाएगी जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति होगी, चाहे उनका पारिवारिक आय कुछ भी हो:

- i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- ii. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होलिंगिंग टेस्ट करते समय अलग-अलग स्थानों या भिन्न-भिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को एक साथ संयोजित किया जाए।

उक्त उद्देश्य के लिए शब्द "परिवार" में शामिल होंगे - आरक्षण की माँग करने वाला उम्मीदवार, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और इसके साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की औलाद।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में होने के उम्मीदवार के दावे के रूप में केवल **अनुलग्नक III** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा:

- a) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/ उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- b) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- c) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों तथा उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामन्यतः रहेता हो।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस सीईएन हेतु आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र होना चाहिए। तदनुसार, उनको प्रमाणपत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि, जारीकर्ता प्राधिकारी, जारी करने वाले जिला और राज्य को ऑनलाइन आवेदन में भरना है। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र अवश्यक प्रस्तुत करना होगा। इन शत के अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन पर केवल सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के तहत ही विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शत को पूरा करते हों।

8.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर से संबंधित उम्मीदवार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता पूर्ण होने की स्थिति में अनारक्षित रिक्तियों के प्रति भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी तथा अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करते समय, उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के लिए लागू आय सीमा छूट सहित अन्य कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, फिर भी ऐसे उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय का उल्लेख करना चाहिए।

8.6 इस सीईएन जारी किए जाने की अंतिम तिथि तक ही समुदाय/ईडब्ल्यूएसस्थिति के संबंध में आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए पात्र होने की स्थिति में विचार किया जाएगा तथा उम्मीदवार के समुदाय/ईडब्ल्यूएस स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

9.0 क्षेत्रीय (होरीजेन्टल) आरक्षण :

9.1 इस सीईएन में किसी भी समुदाय के भूतपूर्व सैनिकों (ExSM) तथा दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

9.2 रिक्ति तालिका में जहां भी भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियां दी गई हैं, वे अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि कुल रिक्तियों में शामिल हैं।

9.3 जहाँ कहीं भी पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्तियाँ अलग-अलग समुदायवार आवंटन के बिना दिखाई जाती हैं, वे रिक्तियाँ अलग हैं और नियमित रिक्तियों का हिस्सा नहीं हैं।

9.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित नहीं हैं। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित है।

9.5 दिव्यांग उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित नहीं हैं, परंतु पद उनकी दिव्यांगता के दृष्टिकोण से अवश्य उपयुक्त होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि दिव्यांग के लिए निर्धारित है।

9.6 दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में यदि उनके पक्ष में आरक्षित पदों को अक्षमता श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य उपयुक्त कारण से नहीं भरा गया, तो ऐसी रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा और बैकलॉग रिक्तियों के तहत उन्हें अगले भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

यद्यपि सीईएन में बताए बैकलॉग रिक्तियों के तहत सूचित पदों के लिए निर्धारित अक्षमता वाले उम्मीदवार न मिलने पर उपयुक्त पद के लिए अन्य अक्षमता वाले उम्मीदवार द्वारा उन पदों को भरा जाएगा जिन के लिए उपयुक्त है। कोई दिव्यांग उम्मीदवार की गैर उपलब्धता के मामले में जिनके लिए पद उपयुक्त है उन पदों को मैरिट के अनुसार नियमित उम्मीदवारों (जो दिव्यांग नहीं हो) द्वारा भरा जाएगा।

10.0 भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) :

10.1 भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी भी रैंक (युद्धशील अथवा गैर युद्धशील) पर भारत संघ के नियमित थल, जल अथवा वायु बलों में सेवा की है, परंतु इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने रक्षा सुरक्षा वाहनी, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा की है।

तथा

- a.** वह व्यक्ति जो स्वयं अपने अनुरोध पर अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् नियोक्ता द्वारा कार्य मुक्त, सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवा मुक्त अथवा कार्य मुक्त हुआ है; (अथवा)
- b.** ऐसा व्यक्ति जो सैन्य सेवा से जुड़ी अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन प्रदान की जा रही है; (अथवा)
- c.** जो ऐसी सेवाओं से स्थापना में की गई कटौती के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त कर दिया गया है; (अथवा)
- d.** जो ऐसी सेवा में अपनी सेवाओं की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर या जो उसके अनुरोध पर अथवा बर्खास्तगी द्वारा अथवा कदाचार अथवा कार्य अक्षमता के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उसे ग्रेच्युटी प्रदान किया गया है, तथा जिसमें प्रादेशिक सेना अर्थात् अनवरत सम्मिलित सेवाओं अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग सम्मिलित है; (अथवा)
- e.** सेना डाक सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना के भाग हैं तथा जो सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में पदावनति के साथ सेवानिवृत्त नहीं किए गए हैं अथवा जो सेना डाक सेवा से सैन्य सेवा से जुड़े अथवा उत्पन्न चिकित्सा कारणों अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण कार्यमुक्त किए गए हैं, जो उनके नियंत्रण से परे हैं तथा जिन्हें चिकित्सा एवं अन्य अक्षमता पेंशन दी गई है; (अथवा)
- f.** वे कार्मिक, जो सेना डाक सेवा में दिनांक 14.04.1987 से पूर्व छह माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; (अथवा)
- g.** प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले; (अथवा)
- h.** चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए पूर्व-रंगरूट, जिन्हें दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई है।

10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपने सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा उन्हें भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सभी रियायतें प्रदान की जा सकेंगी, परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने पद का त्याग तब तक नहीं करना होगा जब तक की वे संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूर्ण न कर लें। तदनुसार, ऐसे सेवारत सुरक्षा कर्मी, जो सीईएन की ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (दिनांक 20.10.2025 या उससे पूर्व) के एक वर्ष के अंदर सेवामुक्त होने वाले हैं, वे भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पदों तथा अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथापि ऐसे उम्मीदवारों के पास सीईएन की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 20.10.2024 को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

- जब चयन प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लग जाता है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के बाद सशस्त्र बलों से कार्यमुक्ति प्राप्त की है।
- चूंकि ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति इस बात के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन है कि उसे सशस्त्र बलों से विधिवत रूप से मुक्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और वह पूर्वोक्त नियमों/अधिसूचनाओं के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के रूप में योग्य है, ऐसे उम्मीदवार को अपने आवेदन के साथ संलग्न प्रारूप में स्वयं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि **अनुलग्नक VII (A)** में है।

10.3 ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जो केंद्र सरकार के समूह 'सी' तथा 'डी' में भूतपूर्व सैनिक का लाभ ले कर असैनिक रोजगार पहले ही प्राप्त कर लिए हैं (पीएसयू, स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय/ राष्ट्रीकृत बैंक आदि) को केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत सी/डी के उच्च ग्रेड अथवा कैडर में असैनिक रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट के लाभ ही प्रदान किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचारणीय नहीं होंगे।

10.4 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी असैनिक रोजगार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करता है, तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के लाभ प्रदान किए जाएंगे, परंतु ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस सीईएन के अंतर्गत दिए गए आवेदन के साथ अनेक रिक्तियों के लिए आवेदन के विवरण के संबंध में घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। असैनिक नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में वे भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों एवं उन रिक्तियों के लिए लागू होंगे, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

10.5 भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित चिकित्सा मानक, भारतीय रेल चिकित्सा (आईआरएमएम) के खंड-I के पैरा 534 के अनुसार होंगे, जो www.indianrailway.gov.in → → **Ministry of Railway** → **Railway Board** → **Health Directorate** अंतर्गत देखा जा सकता है।

11.0 मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी)

11.1 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए पद के लिए उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता प्रत्येक पद के सामने अनु दिव्यांगता विवरण सहित 'मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता' कॉलम के अंतर्गत, पद मापदंड सारणी (**अनुलग्नक-ए**) में दर्शाए गए हैं।

मानक दिव्यांगता :- (दिनांक 19.04.2017 से लागू) दिव्यांगत व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) के अनुसार मानक दिव्यांगता निम्नानुसार हैं :-

- (a) नेत्रहीन और पूर्ण दृश्यता न होना;
- (b) बधिर और कम सुनाई देना;
- (c) गति अक्षमता जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी), कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए, बौनापन, ऐसीड फेंके जाने से पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास शामिल हैं;
- (d) स्वलीनता, बौद्धिक अक्षमता, विशेष सीखने की अक्षमता और मानसिक अस्वस्थता ;

11.2 विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा:-

1. शारीरिक अक्षमता :-

A) गति अक्षमता (स्वयं को और वस्तुओं को गति प्रदान करने से संबंधित विशिष्ट क्रियाओं को कर सकने में किसी व्यक्ति की अक्षमता है, जिसके कारण शरीर के अंगों का संचालन प्रतिबंधित हो अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात की स्थिति हो या दोनों हों), जिसमें:-

(a) "कुष्ठ रोग से स्वस्थ व्यक्ति" - अर्थात जो कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुआ है, परंतु निम्नलिखित से पीड़ित है:-

(i) बिना किसी स्पष्ट विकृति के हाथों एवं पैरों में चेतना की कमी के साथ आँख और पलकों में पक्षाघात;

(ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, परंतु उनके हाथों और पैर में पर्याप्त गतिशीलता, जिससे सामान्य गतिविधि करने में योग्य हों;

(iii) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ बढ़ती आयु, जो उन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय लेने से रोके और "कुष्ठ रोग से स्वस्थ" होने के अनुसार भर्ती किया जाए अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ बढ़ती आयु, जो उन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय लेने से रोके और "कुष्ठ रोग से स्वस्थ" होने के अनुसार भर्ती किया जाए।;

(b) "प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी)" का अर्थ, किसी व्यक्ति का जन्म पूर्व, नवजात अवस्था अथवा शैशव काल के विकास के दौरान मस्तिष्क दोष अथवा चोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न असामान्य मोटर कंट्रोल मुद्रा के कारण उत्पन्न गैर विकासशील अवस्थाओं के रूप में किया जा सकता है;

(c) "बौनापन"- अर्थात चिकित्सा या जेनेटिक स्थिति है परिणामस्वरूप व्यस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 ईंच (147 सेंटीमीटर) या कम होती है;

(d) "मांसपेशीय दुर्विकास" - अर्थात वंशानुगत अनुवांशिक मांसपेशी बीमारी का समूह है, जो मानव शरीर के मांसपेशी को कमजोर करता है और व्यक्तियों में बहु दुर्विकास के साथ जीन में गलत और कम जानकारी रहती है, जो जीनमें स्वस्थ मांसपेशी के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। अस्थि-पंजर संबंधी मांसपेशी की कमजोरी को बढ़ाना, मांसपेशी प्रोटीन में कमी और कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु इसके लक्षण हैं;

(e) "एसिड हमले का शिकार" – अर्थात एसिड या उसी प्रकारके संक्षारक वस्तु फेंके जाने के हिंसक हमले के कारण सेविकृत व्यक्ति है।

B) दृष्टि क्षीणता-

(a) "दृष्टिहीनता" का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें सबसे अच्छे सुधार के बाद किसी व्यक्ति की स्थिति निम्न में से है-

(i) दृश्यता का पूरी तरह से अभाव; या

(ii) बेहतर आँख की दृश्यता उचित लेंसों के साथ 3/60 अथवा 10/200 (स्त्रेलन) से कम हो; या

(iii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 10 डिग्री या इससे कम कोण पर होना।

(b) “कम दृश्यता” का अर्थ उस स्थिति से है, जहाँ व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार होती है, जैसे:-

(i) बेहतर आँख की दृश्यता, उचित लेंसों के साथ 6/18 अथवा 20/60 से 3/60 तक या 10/200 (स्त्रेलन) से अधिक न हो; या

(ii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 40 डिग्री से 10 डिग्री कोण तक कम होना।

C) श्रवण क्षति—

(a) “बधिर” का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की वाक् आवृत्ति में 70 डीबी बहरापन है;

(b) ‘कम सुनना’ अर्थात् वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की वाक् आवृत्ति में 60 डीबी से 70 डीबी बहरापन है।

D) (1) ‘वाक् और भाषा अक्षमता’का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिस में गला संबंधी लार्यनजेक्टोमी या स्वरलोप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

(2) बौद्धिक अक्षमता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें बौद्धिक कामकाज (तर्क, सीखने, समस्या सुलझाने) और अनुकूल व्यवहार, जिसमें प्रतिदिन के कामकाज में सामाजिक व व्यवहारिक कुशलता शामिल है, दोनों में ही महत्वपूर्ण कमी के लक्षण दिखते हैं। जिस में शामिल है —

(a) “विशिष्ट सीखने की अक्षमता” अर्थात् विषम परिस्थितियों का वह समूह जिसमें भाषा बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी में या गणित गणना करने में कठिनाई होती है और जिसमें अवधारणात्मक अक्षमता, वाक् विकार, डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलिया, दुष्क्रिया और विकासात्मक स्वरलोप इत्यादि जैसी स्थितियाँ शामिल होती हैं;

(b) “स्वलीनता विस्तार विकार (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर)” अर्थात् स्नायु विकासात्मक स्थिति है, जो जीवन के पहले तीन वर्ष में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद क्षमता, रिश्तों को समझने और दूसरे से संबंध बनाने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है और यह हमेशा असामान्य या रूढ़िबद्ध संस्कार या व्यवहारों के साथ जुड़ा होता है।

(3) मानसिक व्यवहार — “मानसिक बीमारी” का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, झुकाव या स्मरण शक्ति में पर्याप्त विकार, जिसमें निर्णय क्षमता अति प्रभावित रहती है, जिसके कारण व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित रहती है, परंतु जिसमें मंदता शामिल नहीं होता है, जो किसी व्यक्ति के दिमाग का अधूरा विकास या अवरूद्ध होने की स्थिति है, जिसका विशेष लक्षण बुद्धि की उप सामान्यता है।

(4) अक्षमता निम्न के कारण हुआ — (a) पुरानी स्नायविक स्थिति, जैसे —

(i) "बहु काठिन्य (मल्टीपल स्कलेरोसिस)" मतलब सृजनयुक्त तंत्रिका तंत्र रोग, जिसमें दिमाग के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के चारों ओर फैले हुए माइलिन आवरण तथा रीढ़ की हड्डियों को नुकसान पहुँचता है, जिसके कारण माइलिन रहित तथा दिमाग के तंत्रिका ऊतकों और रीढ़ की हड्डियों के एक दूसरे से संपर्क करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ने वाली स्थिति बनती है;

(ii) "पार्किंसंस रोग" का तात्पर्य तंत्रिका तंत्र के एक ऐसी प्रगतिशील बीमारी से है, जिसके लक्षण कंपन, मांसपेशियों का अकड़ जाना, धीमी और अनिश्चित गति हैं, जो अर्धे उम्र तथा बूढ़े लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसमें दिमाग के बेसल गैंग्लिया की अवनति तथा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी होती है।

(b) रक्त विकार —

(i) "हीमोफीलिया" एक अंतर्निहित बीमारी है, जो सामान्यतया पुरुषों में होती है, किंतु महिला से उनके पुत्रों को संप्रेषित हो जाती है, जिसमें खून के थक्के बनने की क्षमता में कमी या नुकसान होता है, जिससे बच्चों में घातक रक्त स्राव होने लगता है;

(ii) "थैलेसीमिया" एक ऐसी अंतर्निहित रोग है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति के लक्षण पाए जाते हैं।

(iii) "सिकल सेल रोग" एक रक्तलायी विकार है, जिसमें ऊतकों तथा अवयवों को नुकसान पहुँचाने के कारण क्रोनिक एनीमिया, दर्द तथा कई तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, "हेमोलिटिक" बीमारी में लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली को क्षति पहुँचाने के कारण हीमोग्लोबिन का निस्तार होता है।

(5) बहु अक्षमताएँ (जिसमें ऊपर बताई गई विशेष बीमारियों में एक से अधिक हों) बधिर, अंधापन सहित, ऐसी स्थिति, जिसमें व्यक्ति को सुनने तथा देखने संबंधी कमजोरी हो, जिसके कारण संपर्क, विकास तथा शिक्षा संबंधी गंभीर समस्याएँ होती हैं।

(6) अन्य कोई कोटि, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो।

11.3. आरक्षण के लिए बेंचमार्क अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी: केवल ऐसे व्यक्ति ही पदों में शत/आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे जो प्रासंगिक मानक विकलांगता के 40 प्रतिशत से कम नहीं होंगे। बेंचमार्क विकलांगता वाले वे व्यक्ति (पीडब्ल्यूवीडी) जिन्होंने छूट और/या आरक्षण का लाभ उठाया है और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अध्याय 7 के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) दिनांक 14 मार्च 2024 के नियम 18(1) के फॉर्म V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूप के लिए अनुलग्नक V(A), अनुलग्नक V(B) और अनुलग्नक V(C) को देखें। अक्षमता के अधिकारों के अधिनियम 1995 (निरस्त होने के बाद से) के अंतर्गत जारी वर्तमान अक्षमता प्रमाणपत्र, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा।

11.4 लेखक (स्क्राइब) की सहायता: दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार/ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी/मांसपेशियों की दुर्बलता से प्रभावित है/लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार और 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति लेखक के लिए पात्र हैं [अनुलग्नक V(D) देखें] और 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम

की धारा 2⁰ की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और लिखने में कठिनाई हो रही है {अनुलग्नक V (F) देखें और अनुबंध V (G) संलग्न करें} अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए लेखक की सहायता ले सकते हैं।

DoPT के ज्ञापन संख्या 29-6/2019-DD-III दिनांक 10.08.2022 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी पात्र PwBD उम्मीदवारों के लिए परीक्षा निकायों यानी RRB द्वारा स्क्राइब की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(a) उम्मीदवार को परीक्षा से दो दिन पहले स्क्राइब से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उम्मीदवार को यह पता चल सके कि स्क्राइब उपयुक्त है या नहीं।

(b) स्क्राइब की योग्यता परीक्षा की न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे अधिक होनी चाहिए।

(c) उम्मीदवारों को सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र आदि का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यदि आरआरबी पात्र PwBD उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा प्रदान नहीं करते हैं, तो पात्र PwBD उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपना स्वयं का स्क्राइब लाने की अनुमति है:

अपना स्वयं का स्क्राइब नियुक्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय इसका उल्लेख करना होगा।

(a) स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए।

(b) उम्मीदवारों को अलग-अलग पर्चा खासकर भाषाओं के लिए पर्चा लिखने के लिए अलग-अलग स्क्राइब रखने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। हालांकि हर विषय के लिए केवल एक स्क्राइब ही हो सकता है।

(c) इस प्रकार से नियुक्त किया गया स्क्राइब स्वयं उस सीइएन का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार परीक्षा दे रहा है। इसके अलावा एक ही स्क्राइब को एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। स्क्राइब और उम्मीदवार को इस आशय का एक घोषणापत्र देना होगा। किसी भी स्तर पर यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(d) स्क्राइब की अपेक्षा करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करते समय स्क्राइब के संबंध में अनुलग्नक V (G) के उपक्रम सहित अनुलग्नक V(D), अनुलग्नक V (F) के अनुसार स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा ताकि रेलवे भर्ती बोर्ड ई-बुलावा पत्र जारी कर सके और उस पर उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। स्क्राइब को कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र पर मूल वैध पहचान-पत्र और पासपोर्ट साइज का फोटो लाना होगा।

(e) उम्मीदवार के साथ में आने वाले स्क्राइब के लिए अलग से ई-बुलावा पत्र जारी किया जाएगा। परीक्षा के दौरान स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी कदाचार का उत्तरदायित्व स्क्राइब को लाने वाले उम्मीदवार का होगा।

(f) स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के पात्र होंगे।

(g) उम्मीदवार जो स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, किंतु ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, वे

• 40% से अधिक विकलांगता के लिए अनुलग्नक V(D) और

• 40% से कम विकलांगता के लिए अनुलग्नक V (G) के उपक्रम सहित अनुलग्नक V (F) अंतर्गत सीबीटी केंद्र पर स्क्राइब के लिए निर्धारित शत का विधिवत पालन कर के दिए गए प्रारूप में आवश्यक विवरण भरकर स्क्राइब की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपात स्थितियों में भी स्क्राइब के परिवर्तन की अनुमति, आपात कारणों को विधिवत दर्ज करने, संबंधित विवरणों को भरने और उपरोक्त अनुलग्नक V (G) के अनुसार नए स्क्राइब की फोटो चिपकाने के उपरांत दी जा सकती है।

11.5 एक आँख वाले तमाम उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृष्टि की अक्षमता 40% से कम है, उन्हें दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा और उनके लिए स्क्राइब की सेवाएँ प्राप्त करने के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

11.6 चयनित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा रेलवे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय की जाएगी तथा केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल तथा अन्य लागू प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत चिकित्सा मानकों पर खरे उतरेंगे।

11.7 जब रिक्तियां पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित होती हैं और पीडब्ल्यूबीडी के लिए अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति- (गैर क्रीमी लेयर) जैसी प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम योग्यता प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ण पैनल नहीं बनाया जा सकता है, तब पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 अंकों तक की छूट दी जाएगी।

आरक्षण/छूट का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट:

ऐसे सभी उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति-गैर क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नियमों/सीईएन में निर्दिष्ट पात्रता के अनुसार आरक्षण/छूट प्राप्त करने की अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। उन्हें अपने दावे के समर्थन में नियमों/सीईएन में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज अपने साथ लाना चाहिए।

12.0 सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति (एनओसी) प्रमाणपत्र :

12.1 रेलवे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सेवारत उम्मीदवार (प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/परिवीक्षाधीन सहित) अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

12.2 उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड में उनके नियोक्ता से उम्मीदवार को आवेदन करने/परीक्षा में भाग लेने के लिए दी गई अनुमति को रोकने की सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन/उम्मीदवारी को रद्द/अस्वीकार किया जा सकता है।

13.0 भर्ती प्रक्रिया :

उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध लिंक द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन (चयनित आरआरबी में सभी अधिसूचित पदों के लिए समान) प्रस्तुत करना है। भर्ती की प्रक्रिया में 1ली चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), 2री चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टंकण कौशल परीक्षा (यथा लागू) और दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा शामिल हैं। चयन अचूक रूप से मैरिट के अनुसार, उपर्युक्त भर्ती चरणों के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी, टंकण कौशल परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा या यथा लागू अतिरिक्त क्रियाकलाप के लिए तिथि, समय तथा स्थान का निर्धारण रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा

किया जाएगा और उसकी सूचना उम्मीदवारों को विधिवत् दी जाएगी। उक्त में से किसी भी क्रियाकलाप का स्थगन, स्थान तिथि तथा पारी में परिवर्तन में बदलाव से संबंधित अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के दौरान:- उम्मीदवारों को 'खाता बनाने' के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही एक खाता बना लिया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस सीईएन के लिए भी आवेदन करने के लिए उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले कोई खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले पहले 'एक खाता बनाना' होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) खाता बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।

13.1 इस सीईएन 06/2024 में सभी अधिसूचित पोस्ट के लिए सामान्य – प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) –

| परीक्षा अवधि मिनट में | प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक) से | | | प्रश्नों की कुल संख्या |
|--------------------------|--|------|--------------------------------|---------------------------|
| | सामान्य जागरूकता | गणित | सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति | |
| 90 | 40 | 30 | 30 | 100 |

स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले योग्य पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि 120 मिनट होगी।

उपर्युक्त तालिका में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। वहाँ नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएँगे।

सीबीटी का प्रथम चरण (छटाई) स्क्रीनिंग प्रकार का होता है तथा सीबीटी के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक स्तर के अनुरूप होगा। प्रथम चरण सीबीटी के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग उम्मीदवार के मेरिट के आधार पर उन्हें द्वितीय चरण सीबीटी के लिए चयन करने में किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें सीबीटी के द्वितीय चरण के लिए चयन किया गया हो, जो अपिव (एनसीएल)/ ईडब्ल्यूएस अजजा /अजा/पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक की कोटि में आरक्षण सुविधाओं का लाभ पा रहे हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले सभी चरणों में अपिव (एनसीएल), ईडब्ल्यूएस अजजा /अजा/पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत ही माना जाएगा।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे तथा निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं:

a. गणित:

अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग), वेन आरेख, पहेली, आँकड़ापर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

सामान्य जागरूकता:

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल और क्रीडा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं सीबीएसई तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ध्वजपोत (विशेष) सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : अनारक्षित -40%, ईडब्ल्यूएस-40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) - 30 %, अनुसूचित जाति -30 %, अनुसूचित जनजाति - 25%। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2 अंको की छूट प्रदान की जाएगी।

13.2. द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा :

द्वितीय चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग प्रथम चरण सीबीटी में उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी।

शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रथम चरण सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार आरआरबी के लिए अधिसूचित पदों की समुदायवार रिक्तियों का **15 गुना** होगी। हालाँकि, रेलवे सभी अधिसूचित पदों के लिए पर्याप्त उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कुल या किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए इस सीमा को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

द्वितीय चरण सीबीटी के लिए परीक्षा अवधि तथा प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार है :

| परीक्षा अवधि मिनट में | प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक) से | | | प्रश्नों की कुल संख्या |
|-----------------------|--|------|-----------------------------|------------------------|
| | सामान्य जागरूकता | गणित | सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति | |
| 90 | 50 | 35 | 35 | 120 |

स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले योग्य पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि 120 मिनट होगी।

उपर्युक्त सारणी में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। वहाँ नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएँगे।

प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इनमें निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है:

a. गणित:

अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि व्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

b. सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग), वेन आरेख, पहेली, आँकड़ापर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

c. सामान्य जागरूकता:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल और क्रीडा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं सीबीएसई तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ध्वजपोत (विशेष) सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

13.2.2 विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : अनारक्षित -40%, ईडब्ल्यूएस-40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) - 30 %, अनुसूचित जाति -30 %, अनुसूचित जनजाति - 25%। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2 अंको की छूट प्रदान की जाएगी।

13.2.3 जिन पदों के लिए टंकण कौशल परीक्षा निर्धारित नहीं है, उनके लिए दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए दूसरे चरण के सीबीटी में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों का उपयोग किया जाएगा। जिन पदों के लिए टंकण कौशल परीक्षा निर्धारित है, उनके लिए दूसरे चरण के सीबीटी में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों का उपयोग टंकण कौशल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए किया जाएगा।

13.3 कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी) (केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने लेखा लिपिक सह टंकक और कनिष्ठ लिपिक सह टंकक का विकल्प चुना है) द्वितीय चरण सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने के बाद आयोजित किया जाएगा।

13.4 टंकण कौशल परीक्षा:

लेखा लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, के पदों के लिए अर्हक प्रकृति की टंकण कौशल परीक्षा (टंकण कौशल परीक्षामें प्राप्त अंक मेरिट बनाने के लिए नहीं जोड़े जाएँगे) आयोजित की जाएगी, टंकण कौशल परीक्षा के लिए प्रत्येक समुदाय के लिए रिक्तियों की

संख्या के आठ गुना के बराबर उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को केवल पर्सनल कंप्यूटर पर संपादन उपकरण और वर्तनी जाँच सुविधा के बिना अँग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने में सक्षम होना चाहिए। हिंदी में टंकण कौशल परीक्षा के लिए आने वालों के दिशानिर्देशों के लिए कृति देव और मंगल फ्रॉन्ट को पर्सनल कंप्यूटर पर टंकण कौशल परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। टंकण कौशल परीक्षा में छूट उन उम्मीदवारों को दी जा सकती है जो नेत्रहीनता / कम दृष्टि, सेरेब्रल पालसी और लोकोमोटर अक्षमता के कारण स्थायी रूप से अक्षम है और 40% से कम स्थायी अक्षमता नहीं है। ऐसे अक्षम पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा, प्रपत्र **अनुलग्नक V(E)** में जारी टंकण कौशल परीक्षा छूट प्रमाणपत्र का स्कैन किया हुआ प्रति टंकण कौशल परीक्षा के आयोजन के पहले संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करनी है। केवल टंकण कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त और टंकण कौशल परीक्षा में छूट प्राप्त पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों का द्वितीय चरण सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी।

13.5 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):

द्वितीय चरण सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तथा द्वितीय चरण सीबीटी और सीबीटीएसटी (यथा लागू) दोनों में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक हासिल करने के मामले में, उनकी योग्यता की स्थिति आयु मानदंड से निर्धारित की जाएगी, अर्थात् उम्र में बड़े व्यक्ति को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा और यदि आयु समान है, तो बराबरी की स्थिति को दूर करने के लिए नाम के वर्णमाला क्रम (A से Z) को ध्यान में रखा जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जा रही अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने, शैक्षणिक और समुदाय संबंधी प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड केवल सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करते हैं और नियुक्ति केवल संबंधित रेलवे प्रशासनों द्वारा ही की जाती है।

13.6 अधिसूचित पदों के लिए ऊपर दी गई भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सारांश नीचे सारणीबद्ध है :

| क्र. सं. | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | प्रथम चरण सीबीटी | द्वितीय चरण सीबीटी | अपेक्षित कौशल परीक्षा |
|----------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक | 3 | समस्त पदों के लिए समान | समस्त पदों के लिए समान | ----- |
| 3 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | | | टंकण कौशल परीक्षा |
| 4 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | | | टंकण कौशल परीक्षा |
| 5 | ट्रेन लिपिक | 2 | | | ----- |

नोट :- उपर्युक्त तमाम पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन एवं चिकित्सा परिक्षण कीये जायेंगे।

14.0 अंकों का सामान्यीकरण :

जब भी सीबीटी एक ही पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में आयोजित किया जाता है, तो विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों की चयन उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर होगी।

15.0 आवेदन कैसे करें :

(a) उम्मीदवार अपनी पात्रता के अनुसार किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिसूचित पदों के लिए पैरा डी 20.0 पर सूचीबद्ध रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

(b) रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर इस सीईएन के योग्य लिंक पर क्लिक करके आवेदन भरने से पहले सीईएन में दी गई सभी सूचनाएँ और निर्देश पूरी तरह से पढ़ें। यह आवश्यक है कि उम्मीदवार आवेदन भरते समय किसी भी गलती से बचने के लिए अधिसूचना की सारी सूचना को अच्छी तरह से समझ लें।

(c) आवेदन भरने से पहले जेपीईजी/पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन किए हुए दस्तावेज़ तैयार रखें।

उम्मीदवार को शीघ्रता से आवेदन भरने के लिए, आवेदन वाले पेज पर लॉग इन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ डिजिटल फॉर्म में तैयार रखना चाहिए :-

- उम्मीदवार का फोटोग्राफ : 30 केबी से 70 केबी साईज का जेपीईजी इमेज। (कृपया फोटो के विनिर्देश के संबंध में पैरा डी 15.1(n)(iii) देखें।
- उम्मीदवार का हस्ताक्षर : 30 केबी से 70 केबी साईज का जेपीईजी इमेज। (कृपया हस्ताक्षर के विनिर्देश के संबंध में पैरा डी 15.1 (n)(v) देखें।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (केवल निःशुल्क यात्रा पास माँगनेवाले उम्मीदवारों के लिए) : 500 तक केबी साईज का पीडीएफ इमेज। (कृपया अजा/अजजा प्रमाणपत्र अपलोड करने के विनिर्देश के संबंध में पैरा डी 15.1 (o) देखें।
- स्क्राइब फोटो (जहाँ लागू हो) : 30 केबी से 70 केबी साईज का जेपीईजी इमेज। (कृपया फोटो के विनिर्देश के संबंध में पैरा डी 15.1(n)(iii) देखें।

(d) उम्मीदवार की योग्यता और आरक्षण कोटि के लिए रेलवे भर्ती बोर्डवार रिक्तियों की जाँच करें : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में अधिसूचित रिक्तियों का पता लगाने के लिए इस सीईएन में पद मानदंड तालिका और रिक्ति तालिका की जाँच करें फिर तय करें कि वे किस आरआरबी के लिए आवेदन करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करें कि जिस रेलवे भर्ती बोर्ड में वे ऑनलाइन आवेदन भरना चाहते हैं वहाँ उनकी शैक्षणिक योग्यता, समुदाय/श्रेणी के लिए उम्र और चिकित्सा मानकों, अक्षमता इत्यादी के संदर्भ में पात्रता के अंतर्गत रिक्ति हो।

(e) अधिसूचित विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों की उपलब्धता और उम्मीदवार की पात्रता का पता लगाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है :

- पद मानदंड तालिका :- पद मानदंड तालिका के ऊपर क्लिक करें। पद मानदंड तालिका से उम्मीदवार पद (पदों) का पता लगा सकते हैं कि वे समुदाय, योग्यता एवं श्रेणी जैसे पीडब्ल्यूबीडी तथा आवश्यक चिकित्सा मानक इत्यादि के अनुसार किसके लिए पात्र हैं।

- **रिक्ति तालिका :** अपनी पात्रता के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिसूचित सभी पदों की रिक्ति का व्यापक विवरण का पता लगाने के लिए, उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की ड्रॉप डाउन सूची से रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन कर सकते हैं और पात्रता मापदंडों का चयन करते हुए उस रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़ी विभिन्न रेलवे/इकाइयों के अधिसूचित पदों की सभी रिक्तियों को देख सकते हैं।
- रिक्ति तालिका की जाँच करने के बाद, उम्मीदवार अपनी योग्यता/समुदाय/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/ पूर्व सैनिक कोटि इत्यादी के लिए विद्यमान रिक्तियों को विधिवत् सुनिश्चित करते हुए उस रेलवे भर्ती बोर्ड को तय कर सकते हैं, जिसके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं।
- एक बार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन हो जाने के पश्चात्, प्रारंभिक पंजीकरण पूरा हो जाता है और पंजीकरण संख्या आवंटित कर दी जाती है, इसके पश्चात् किसी भी परिस्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड को बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(f) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन को ध्यान से भरने के लिए दिए गए लिंक पर जाने की आवश्यकता है और व्यक्तिगत विवरण/बायो-डेटा, प्रदत्त शुल्क आदि को ध्यानपूर्वक भरना है। उन्हें पद(पदों), रेलवे(रेलवेज)/उत्पादन इकाई(इकाइयों) के लिए अपने विकल्प/वरीयता का प्रयोग करने की भी आवश्यकता होगी।

(g) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें :

- इस सीईएनमें कई पदों और अन्य आवश्यकताओं को अधिसूचित किया गया है। उम्मीदवारों को अपनी पद-वार और रेलवे/उत्पादन इकाई (पीयू) वार वरीयताओं को बहुत सावधानी से दर्शाना आवश्यक है। एक बार ऑनलाइन आवेदन में प्रयोग किए गए विकल्प अंतिम होंगे और परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पद(पदों) और रेलवे(रेलवेज)/उत्पादन इकाई(उत्पादन इकाइयों) के लिए विकल्प के प्रयोग में सावधानी बरतें। रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों को योग्यता और रिक्ति की स्थिति पद के विकल्पों के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को पद और रेलवे/उत्पादन इकाई आवंटित करेंगे। तथापि, प्रशासनिक अनिवार्यताओं/आवश्यकताओं के मामले में, रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी पद/रेलवे को उम्मीदवार (रों) की उपयुक्तता के लिए आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को केवल उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट कोटियों के लिए माना जाएगा, क्योंकि कुछ कोटियों या सभी कोटियों के लिए गैर विकल्प उसके लिए उनकी अनिच्छा को प्रदर्शित करेगा।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत वैध ई-मेल आईडी को सक्रिय रखें, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड से सभी सूचनाएँ केवल एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएँगी। रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को बदलने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के साथ भर्ती प्रक्रिया/पत्राचार के आगे के चरणों के लिए अपना पंजीकरण संख्या नोट करके एवं संभालकर रखें।
- उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस सीईएन के बारे में किसी भी परिवर्तन की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए बारंबार रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट देखते रहें।
- उम्मीदवारों को वैध दस्तावेजों के साथ यह प्रमाणित करना है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही है।

15.1 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण:

उपर्युक्त पैरा डी 15.0 ए, बी, सी एवं डी की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात निम्नलिखित काय को पूर्ण करें :

a) ऑनलाइन आवेदन के दौरान:- उम्मीदवारों को 'खाता बनाने' के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही एक खाता बना लिया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस सीईएन के लिए भी आवेदन करने के लिए उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले कोई खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले पहले 'एक खाता बनाना' होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) खाता बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।

b) पंजीकरण विवरण : सामान्य निर्देश के पैरा डी 1.7 के अनुसार, अपना नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम, माता का नाम, आधार संख्या, एसएसएलसी/मैट्रिक रोल नंबर, उत्तीर्ण होने का वर्ष, मोबाइल नंबर और ई-मेल-आईडी दर्ज करें और तत्पश्चात् पंजीकरण के लिए जमा करें। पंजीकरण के लिए जमा करने से पहले, सुनिश्चित और पुष्टि करें कि उपर्युक्त दी गई सभी जानकारी सही हैं, क्योंकि पंजीकरण के लिए दिया गया विवरण बाद में नहीं बदला जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण के लिए उपयोग की गई ई-मेल आईडी स्वयं आपकी और अनन्य होनी चाहिए। यह भी ध्यान दें कि ई-मेल और मोबाइल नंबर दोनों को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान सत्यापित किया जाएगा।

c) ओटीपी के माध्यम से ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का सत्यापन: प्राथमिक विवरण प्रस्तुत करने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवार को ईमेल और मोबाइल से ओटीपी प्राप्त करना चाहिए और फिर आवेदन भरने के लिए ओटीपी दर्ज करना चाहिए और ओटीपी "एक्टिवेशन लिंक" के माध्यम से भुगतान करना चाहिए। ओटीपी "एक्टिवेशन लिंक" के माध्यम से उम्मीदवार को ई-मेल और मोबाइल से ओटीपी प्राप्त करना होगा और फिर आवेदन भरने और भुगतान करने के लिए ओटीपी दर्ज करना होगा।

ओटीपी के सफल सक्रियण पर, पंजीकरण संख्या उत्पन्न होगी और पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।

उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के दौरान आगे के संदर्भ के लिए अपने पंजीकरण संख्या को नोट करें और संभाल कर रखें और पंजीकरण संख्या की माँग के लिए किसी भी अनुरोध पर रेलवे भर्ती बोर्ड विचार नहीं करेगा।

d) उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके होम पेज पर "कैंडिडेट लॉगइन" बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

e) आवेदन पृष्ठ के भाग I में, शैक्षणिक योग्यता, समुदाय अर्थात् अना/अपिव(एनसीएल)/अजा/अजजा/इडब्ल्यूएस, लिंग, धर्म, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आयु में छूट श्रेणी के विवरण, जो भी लागू हों और अन्य विवरण दें।

f) भुगतान और बैंक खाता विवरण :

i. उपर्युक्त अनुसार आवेदन विवरण पूरा होने पर, उम्मीदवार को पैरा डी 7.0 में बताए गए अनुसार भुगतान विधि अर्थात् बैंक (ऑनलाइन नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूपीआई और ऑफलाइन चालान) या पोस्ट ऑफिस चालान चुनने के लिए निर्देशित

किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण करें। भुगतान की विधि का चयन करें और भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण करें। अगर ऑनलाइन भुगतान असफल होता है तो उम्मीदवार को दूसरी बार भुगतान करना है। कृपया भुगतान की प्रत्येक विधि के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय को नोट करें और समय पर आवेदन प्रस्तुत करें।

g) आवेदन पृष्ठ के भाग II में, उम्मीदवार को अपनी पदों की प्राथमिकता/वरीयता दर्शानी होगी।

पदों के लिए अग्रता/प्राथमिकताएँ निर्धारित करें: यदि उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरण के आधार पर एक से अधिक पदों के लिए पात्र है, तो उसे इन पदों के लिए प्राथमिकता/वरीयताएँ निर्धारित करनी होंगी। उन पदों की सूची (चुने गए आरआरबी में) जिनके लिए उम्मीदवार पात्र है, प्रदर्शित की जाती है। इसी प्रकार, यदि चयनित आरआरबी में एक से अधिक रेलवे/उत्पादन इकाइयों के लिए रिक्तियाँ हैं, तो ऐसे सभी रेलवे/उत्पादन इकाइयों के लिए रिक्तियाँ, जिनके लिए उम्मीदवार पात्र है, सूचीबद्ध की जाएंगी। उम्मीदवार को उस आरआरबी में प्रत्येक पद के लिए अपनी पात्रता के सामने स्थित टेक्स्ट बॉक्स में अपनी प्राथमिकता/वरीयता संख्या भरनी चाहिए, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है।

h) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब: यदि आप पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं तथा स्क्राइब के लिए पात्र हैं, तो स्क्राइब के लिए विकल्प चुनें। केवल नेत्रहीनों (VI) उम्मीदवार या जिन उम्मीदवारों की लेखन की गति सेरेब्रल पाल्सी/ पेशी अपविकास/ लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/ बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक बीमारी) से पीड़ित होने के कारण प्रभावित है, वे इस सीईएन में स्क्राइब का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। यदि आपने स्क्राइब तय कर लिया है, तो उस स्क्राइब का विवरण दर्ज करें, जैसे नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि। स्क्राइब के रूप में जिस व्यक्ति की व्यवस्था की गई है, वह स्वयं उस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है तथा वही स्क्राइब एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए संलग्न नहीं होना चाहिए।

i) विस्तृत शैक्षणिक योग्यता: आवेदन में आवश्यक अनुसार योग्यता संबंधित सभी जानकारी प्रस्तुत करें।

j) परीक्षा भाषा का चयन: अंग्रेज़ी डिफ़ॉल्ट भाषा है। यदि उम्मीदवार किसी अन्य भाषा को चुनना चाहता है, तो भाषाओं की ड्रॉप डाउन सूची से उसे चुना जा सकता है। भाषाओं की सूची में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं। अंग्रेज़ी और चुनी हुई भाषा के बीच प्रश्नों में कोई अंतर/विसंगति/विवाद के मामले में अंग्रेज़ी संस्करण की सामग्री मान्य होगी।

k) शेष खानों अर्थात् मातृभाषा, तिल/पहचान चिन्ह, पता इत्यादि को भरें।

l) धन की वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण: - पैरा डी 7.0 में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रथम चरण सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए पात्र हैं। जिन उम्मीदवारों ने जिस खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया है, उसी खाते में अपना धनवापसी प्राप्त करने की पुष्टि कर दिए हैं, उन्हें इन विवरणों को भरने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए यह उनके लिए दिखाई नहीं देगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिन्होंने ऊपर दिए गए शुल्क भुगतान खाते के रूप में धन वापसी का विकल्प नहीं चुना है, उन्हें उस लाभार्थी खाते का विवरण यथा ऑनलाइन आवेदन में लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करना होगा, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं।

m) उम्मीदवार अन्य संगठनों में भर्ती के लिए उन मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संगठनों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को साझा करने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं।

n) फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना :

i. उम्मीदवार को स्वतः ही आवेदन के 'फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड' भाग के लिए निर्देशित किया जाएगा।

ii. 'अपलोड फ़ोटो' टैब का चयन करें और अपनी रंगीन फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो निम्न आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए।

iii. फ़ोटो के लिए विनिर्देश:

- a. रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो सफ़ेद/हलके रंग की पृष्ठभूमि के साथ होनी चाहिए।
- b. उसकी साईज 35 मिमी x 45 मिमी या 320 x 240 पिक्सेल होना चाहिए।
- c. यह जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन में स्कैन किया हुआ होना चाहिए।
- d. फ़ोटो की साईज 30-70 केबी के बीच होना चाहिए।
- e. रंगीन फ़ोटो (नवीनतम फोटो) किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में लिया हुआ होना चाहिए। मोबाइल से खींची गई फ़ोटो और स्वयं के द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट के मामले में आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- f. फ़ोटो में उम्मीदवार का चेहरा स्पष्ट एवं सामने से होना चाहिए तथा वह बिना किसी टोपी और धूप के चश्मे के होना चाहिए।
- g. कैमरे में देखते हुए पूरा चेहरा होना चाहिए तथा फ़ोटो का कम-से-कम 50% भाग में चेहरा होना चाहिए।
- h. चेहरे का मुख्य भाग सिर के बाल, किसी भी कपड़े या किसी भी परछाई से ढंका नहीं होना चाहिए।
- i. माथा, आँखें, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
- j. यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है, तो फ़ोटो में चश्मे पर कोई चमक/ परावर्तन नहीं होना चाहिए और आँखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- k. फ़ोटो को सभी सीबीटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा के दिनों में उम्मीदवार के चेहरे के साथ मेल खाना चाहिए।
- l. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल ऊपर दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, न कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र में उपयोग कीये गये पूरे शरीर का फ़ोटो।
- m. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान और जब भी आवश्यक हो, उसी फ़ोटो की कम-से-कम 12 (बारह) प्रतियाँ आगे उपयोग के लिए रखें।

iv. अपलोड सिग्नेचर टैब चुनें और अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपलोड करें। हस्ताक्षर का इमेज निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

v. हस्ताक्षर इमेज के लिए विनिर्देश :

a. आवेदक को काले रंग की स्याही से सफ़ेद काग़ज़ पर हस्ताक्षर करना होगा।

b. हस्ताक्षर रनिंग अक्षरों में होना चाहिए और बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए।

c. इमेज जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए।

d. इसका आयाम 50 मिमी x 20 मिमी या 140 x 60 पिक्सेल होना चाहिए। (अधिमानित)

e. फ़ाइल का साईज़ 30 केबी – 70 केबी के बीच होना चाहिए।

f. नोट्स :

i. हस्ताक्षर केवल आवेदक का होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया हुआ नहीं होना चाहिए।

ii. आवेदकों के पंजीकरण के दौरान किए गए हस्ताक्षर और सभी सीबीटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा के समय प्राप्त हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए।

iii. यदि यह पाया जाता है कि हस्ताक्षर का कोई मेल नहीं है, तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा और उम्मीदवार को रेलवे की भर्तियों (रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल) में उपस्थित होने के लिए जीवन भर के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

o) अजा/अजजा प्रमाणपत्र अपलोड करना :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के वे उम्मीदवार, जिन्होंने निःशुल्क रेल यात्रा के लिए विकल्प दिया है, उन्हें अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (पीडीएफ फॉर्मेट, 500 केबी) की स्कैन की हुई प्रति निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपलोड करनी चाहिए।

ध्यान दें : यदि फ़ोटो, हस्ताक्षर और अजा/अजजा समुदाय प्रमाणपत्र के लिए फ़ाइल का साईज़ और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

p) आवेदन जमा करना :

अंत में उम्मीदवारों को इस घोषणा की पुष्टि करनी होगी "मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदित पद(पदों) के लिए पात्रता मापदंडों को अच्छी तरह तरह पढ़ और समझ लिया है और इसमें दी गई अपेक्षाओं को पूरा करता हूँ तथा आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और कुछ भी छुपाया या रोका नहीं गया है। मैं यह भी भलीभाँति जानता हूँ कि यदि किसी भी मामले में कोई भी विवरण भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके पश्चात् असत्य पाया जाता है, तो

रेलवे भर्ती बोर्ड मुझे आवेदित पद (पदों) के लिए अयोग्य घोषित करेगा और/ या वर्तमान नियमों के अंतर्गत मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।"

उपर्युक्त घोषणा की पुष्टि करने और आवेदन प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवार फाइल को "पीडीएफ" के रूप में सुरक्षित कर सकता है और/या आवेदन का प्रिंट ले सकता है और इसे संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए संरक्षित कर सकता है।

15.2 आवेदन में सुधार करना:

- a. ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएं फॉर्म (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चयनित आरआरबी में भरे गए विवरण के अलावा किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है, तो वह प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (अप्रतिदेय) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। खाता बनाएं फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए आरआरबी को बदला नहीं जा सकता।
- b. संशोधन शुल्क, छूट प्राप्त श्रेणियों सहित सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा
- c. उम्मीदवार द्वारा अजा/अजजा से अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए अपने समुदाय को संशोधित करने के मामले में उन्हें परीक्षा शुल्क में अंतर का अर्थात् संशोधन शुल्क के अलावा 250/- रुपए का भुगतान करना होगा, ऐसा नहीं करने पर उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- d. इसी तरह यदि कोई उम्मीदवार पूर्व सैनिक से अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/गैर पूर्व सैनिक आदि श्रेणी के लिए परिवर्तन कर रहा है, तो उसे परीक्षा शुल्क का अंतर अर्थात् संशोधन शुल्क के अतिरिक्त 250/-रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- e. प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क का भुगतान करने पर ऑनलाइन आवेदन में किसी भी संख्या में संशोधन की अनुमति दी जाएगी।
- f. इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय यानी 20.10.2024 (23:59 बजे) के बाद 10 (दस) दिनों तक आवेदन में संशोधन की अनुमति दी जाएगी।

संशोधन विंडो 23.10.2024 से 01.11.2024 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेंगे।

15.3 अमान्य आवेदन/निरस्त आवेदन:

निम्नलिखित कारणों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं :

a. **अमान्य फोटो के कारण** जैसे काले एवं सफेद फोटो, टोपी पहनकर खिंची गई फोटो और/या काले चश्मे, फोटो जिसकी आकृति ठीक नहीं है, छोटे आकार की फोटो, पूरे शरीर का फोटो, चेहरे का केवल एक तरफ का हिस्सा, फोटो पहचानने योग्य न हो, फोटो की फोटोस्टेट कॉपी, ग्रूप फोटो, सेल्फी फोटो, मोबाइल द्वारा लिया गया फोटो, संशोधित फोटो और दूसरों के बीच खाली फोटो।

b. कैपिटल/ ब्लॉक अक्षर में हस्ताक्षर।

- c. ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 16.09.2024 तक पद के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं है।
- d. निर्धारित से अधिक या कम आयु या गलत तरीके से भरी गई जन्म तिथि।
- e. विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड या एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए एक से अधिक आवेदन। ऐसे मामलों में सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- f. किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की किसी बहिष्कृत सूची में उम्मीदवार का नाम आना।
- g. अपूर्ण या गलत तरीके से भरा गया आवेदन।
- h. कोई अन्य अनियमितता जो रेलवे भर्ती बोर्ड के ध्यान में आए और उसके द्वारा अमान्य मानी जाए।

नोट: उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों से अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उम्मीदवार अस्वीकृति के लिए कारण के साथ अपनी स्थिति देख पाएँगे, जो अंतिम और बाध्यकारी है और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की अस्वीकृति के कारण परीक्षा शुल्क की कोई वापसी नहीं की जाएगी। एसएमएस और ई-मेल अलर्ट उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई-मेल आईडी पर भी भेजे जाएँगे, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में सूचित किया गया है। उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

16.0 सीबीटी, टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए हॉल टिकट (ई-बुलावा पत्र) :

16.1 सभी पात्र उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर ई-बुलावा पत्र और अपलोड विवरण के संबंध में एसएमएस और ई-मेल सूचना भेजी जाएगी। डाक के द्वारा कोई भी बुलावापत्र नहीं भेजा जाएगा। तथापि, उम्मीदवार नियमित रूप से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाएँ, क्योंकि कुछ ऐसे कारणों से एसएमएस और ईमेल उम्मीदवारों को नहीं भेजे जा सकते जिन पर रेलवे भर्ती बोर्ड का नियंत्रण ना हो।

16.2 पात्र उम्मीदवार सीबीटी/टीएसटी/डीवी (यथा लागू) की तिथि से लगभग 10 दिन पहले आरआरबी की वेबसाइट से अनुलग्नक V(D) (स्क्राइब के लिए घोषणा, जहां लागू हो) के साथ ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बुलावा पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

16.3 उम्मीदवारों को ई-बुलावा पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

16.4 अजा/अजजा उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (शयनयान श्रेणी का रेल पास) का लाभ लेने के लिए अपने वैध जाति प्रमाणपत्र के विवरण अपलोड किए हैं, उनके सीबीटी/टीएसटी/डीवी (यथा लागू) के ई-बुलावा पत्र में निःशुल्क यात्रा प्राधिकार शामिल होगा और ऐसे उम्मीदवारों को ई-बुलावा पत्र और अजा/अजजा प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करके टिकट सुरक्षित करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान यह उम्मीदवार अजा/ अजजा मूल प्रमाणपत्र और मूल निर्दिष्ट पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे, जिसमें विफल रहने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उनसे शुल्क वसूला जाएगा।

16.5 उम्मीदवारों को ई-बुलावा पत्र के साथ **वैध फोटो पहचान पत्र** (यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंट (आधार का फोटो कॉपी नहीं), ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, शासकीय कर्मचारी होने के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का फोटो पहचान पत्र) अगर वर्तमान में पढाई कर रहे हैं की मूल प्रति लानी होगी। इसमें विफल होने की स्थिति में उन्हें सीबीटी, सीबीटी, टीएसटी/डीवी (यथा लागू) में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। नाम, जन्मतिथि और पहचान पत्र में फोटो का मिलान ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण से होना चाहिए, इसमें विफल होने की स्थिति में उम्मीदवार को सीबीटी, टीएसटी/डीवी (यथा लागू) में शामिल होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

16.6 उम्मीदवार को सीबीटी/टीएसटी/डीवी (यथा लागू) में शामिल होने के लिए आवेदन में अपलोड किया गया हुआ (35 मिमी x 45 मिमी साईज का) एक रंगीन फोटो भी, अवश्य ही लाना होगा।

16.7 उम्मीदवार को परीक्षा के लिए आते समय ई-बुलावा पत्र में दिए गए खाली स्थान को स्व घोषणा अनुच्छेद (सीबीटी के दौरान स्क्रीन पर जैसा डिस्प्ले होगा), हस्ताक्षर और बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई) के लिए खाली ही रखना होगा।

चेतावनी : उम्मीदवार को केवल सीबीटी परीक्षा केंद्र में वीक्षक के समक्ष ही परीक्षा कक्ष में स्व घोषणा का अनुच्छेद, हस्ताक्षर और एलटीआई लगाना होगा और परीक्षा समाप्त होने के पूर्व उसे वीक्षक को सौंपना होगा। कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर और/या पहले से स्व घोषणा अनुच्छेद लिखने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

16.8 उम्मीदवार (रों) को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और पाली में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को रेलवे भर्ती बोर्ड स्वीकार नहीं करेंगे।

17.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों के प्रारूप :

17.1 पैनल में कमी या अन्य अत्यावश्यकताओं के मामले में, आरआरबी ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्पों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर उम्मीदवार को उनकी मेरिट सूची में नीचे उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालाँकि, यह ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

17.2 ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि तक अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए, उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की दो सेट स्व-सत्यापित फोटो प्रतियों के साथ सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही इन उम्मीदवारों को यथा लागू सभी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियाँ (टू कलर में) दस्तावेज सत्यापन की तिथि से पहले www.rrbdv.in **portal** के माध्यम से अपलोड करना होगा।

17.3 सभी प्रमाणपत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में ही होने चाहिए। हिंदी/ अंग्रेजी में प्रमाणपत्रों के नहीं होने की स्थिति में जहाँ/ जब भी आवश्यक हो स्वप्रमाणित अनूदित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही होने चाहिए।

17.4 दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

17.4 उम्मीदवार द्वारा सत्यापन के लिए मूल रूप में लाए जानेवाले दस्तावेज़ (यथा लागू) निम्नानुसार हैं :

1. जन्म तिथि और मैट्रिकुलेशन योग्यता के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन/हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र। (आवदेन में उल्लेख किए गए उम्मीदवार के नाम, माता/ पिता के नाम प्रमाणपत्र में दिए गए नाम से मेल खाने चाहिए।)
2. 10+2/ इंटर/ हायर सेकेंडरी/पीयूसी/ समकक्ष प्रमाणपत्र (यथा लागू)।
3. विश्वविद्यालय डिग्री या समकक्ष।
4. **अनुलग्नक-I** के अनुसार प्रारूप में अजा/ अजजा प्रमाणपत्र।
5. **अनुलग्नक-II** के अनुसार प्रारूप में अपिव-गैर क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र।(दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि से एक वर्ष अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) ।
6. **अनुलग्नक-II ए** के अनुसार प्रारूप में अपिव उम्मीदवारों द्वारा गैर क्रीमी लेयर घोषणा।
7. **अनुलग्नक-III** के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र।
8. **अनुलग्नक-III A** के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाणपत्र।
9. **अनुलग्नक-IV** के अनुसार गैरन्यायिक स्टैंप पेपर पर अल्प समुदाय घोषणा।
10. भूतपूर्व सैनिकों के लिए मूल विमूक्ति प्रमाणपत्र।
11. यथा लागू **अनुलग्नक-V(A)/अनुलग्नक V(B)/अनुलग्नक V(C)/अनुलग्नक V(E)/अनुलग्नक V(F)**के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र।
12. **अनुलग्नक-VII (A)** के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-घोषणा।
13. वर्तमान नियोक्ता से नियुक्ति की तारीख के साथ कार्यरत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र।
14. सेवारत रक्षाकर्मियों के लिए सेवा मुक्ति की संभावित तारीख से अनापत्ति प्रमाणपत्र।
15. **पैरा डी 1.7** में वर्णित अनुसार औपचारिक नाम परिवर्तन के मामले में राजपत्रित अधिसूचना और/ या अन्य कानूनी दस्तावेज़।
16. ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों द्वारा स्वप्रमाणन।
17. पैरा डी 4.1(f) के अनुसार भारत सरकार के द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र।
18. यथा लागू सक्षम न्यायालय से तलाक/ कानूनी वियोजन की डिक्री और इस आशय का शपथ पत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
19. विधवा उम्मीदवार के मामले में पति का मृत्यु प्रमाणपत्र और इस आशय का शपथ पत्र की उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।

20. भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने इस सीईएन के लिए आवेदन करने के बाद असैनिक रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के बाद जल्द-से-जल्द संबंधित नियोक्ता को इस सीईएन के तहत दिए गए आवेदन के विवरण के बारे में स्व घोषणा देनी चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के समय इस घोषणाकी पावती कॉपी के साथ असैनिक नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

टिप्पणी :-

i. वे उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों/ या आयु सीमा में छूट के लिए विचार किया जाना चाहते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक संबंधित दस्तावेज़ मूल प्रति में दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अवश्य ही जमा करेंगे। अन्यथा यदि उन पर लागू होता है, तो अजा/ अजजा/ अपिव-गैर क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस/ भूतपूर्व सैनिक/ पीडब्ल्यूबीडी होने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/ आवेदन को अनारक्षित (अना) समुदाय के लिए विचार किया जाएगा। प्रमाणपत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए। **अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

ii. शैक्षणिक योग्यता जैसे अंतिम/ सामान्य प्रमाणपत्र में जारी तिथि होनी चाहिए। यह जारी तिथि सीईएन की अंतिम तिथि के बाद का होने के मामले में समेकित अंक सूची में अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम के जारी होने की तिथि या प्रत्येक सेमेस्टर के परिणाम के जारी होने की तिथि सहित तमाम सेमेस्टर/वर्ष की अंक सूचियाँ जमा करनी चाहिए। इन प्रमाणपत्रों में तिथि उपलब्ध न होने की स्थिति में संस्था/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी (जिसमें परिणाम के जारी होने की तिथि इंगित हो) प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

18.0 छद्मरूपण/ तथ्यों को छिपाना –चेतावनी :

18.1 यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधन का इस्तेमाल करते हुए, अपने स्थान पर दूसरे को परीक्षा देने के लिए भेजने, छद्म रूप धारण करने का प्रयास करते हुए पाया जाता है, तो उसे रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की सभी परीक्षाओं में बैठने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति लेने पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि उसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

18.2 रेलवे भर्ती बोर्ड को कोई गलत सूचना देने या किसी भी चरण में कोई सूचना जानबूझकर छिपाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा और रेलवे या अन्य किसी सरकारी सेवा में किसी भी नियुक्ति हेतु चयन या परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हो चुकी है, तो उस उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।

18.3 यदि कोई उम्मीदवार पात्रता प्राप्त करने और/या सीबीटी/टीएसटी दस्तावेज सत्यापन (यथा लागू) में शामिल होने के लिए मुफ्त यात्रा सहित अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के जाली/नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए पाए जाते हैं, तो उस विशेष भर्ती के लिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। इसके अलावा, रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल द्वारा संपूर्ण देश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से 2 वर्ष/ या आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और आवश्यक हुआ, तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

18.4 उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने हित में कोई राजनैतिक या कोई अन्य प्रभाव का इस्तेमाल या प्रयास नहीं करेगा। ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

19.0 विविध :

19.1 रेलवे भर्ती बोर्ड को किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त परीक्षा/ दस्तावेज सत्यापन आयोजित करने का अधिकार है। रेलवे भर्ती बोर्ड को बिना कोई कारण बताए इस सीईएन अधिसूचना में अधिसूचित कोटियों में से किसी भी कोटि के लिए किसी भी चरण में भर्ती प्रक्रिया या उसके किसी भाग को रद्द करने का अधिकार है।

19.2 पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, निःशुल्क पास जारी करने, गलत सूचना देने पर दंडात्मक कार्रवाई करने, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, सीबीटी का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आबंटन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आबंटन इत्यादि से संबंधित तमाम मामलों के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

19.3 रेलवे भर्ती बोर्ड असावधानीवश हुई किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उसे ऐसी त्रुटि को सुधारने का अधिकार है।

19.4 4 इस सीईएन से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मुद्दा संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी स्थित है।

19.5 सीईएन अधिसूचना की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड वेबसाइट में प्रकाशित सीईएन अधिसूचना के अंग्रेज़ी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

20.0 विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड का विवरण, उनके वेबसाइटों का पता निम्नलिखित है :-

| रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम | वेबसाइट का पता और टेलीफोन नंबर | रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम | वेबसाइट का पता और टेलीफोन नंबर |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| (1) | (2) | (1) | (2) |
| अहमदाबाद | www.rrbahmedabad.gov.in फ़ोन: 079 - 22940858 | गुवहाटी | www.rrbguwahati.gov.in फ़ोन:0361-2540815 |
| अजमेर | www.rrbajmer.gov.in फ़ोन न:0145-2425230 | जम्मू – श्रीनगर | www.rrbjammu.nic.in फ़ोन न: 0191 – 2476757 |
| प्रयागराज | www.rrbald.gov.in फ़ोन: 0532 –2224531 | कोलकाता | www.rrbkolkata.gov.in फ़ोन न:06291516873 |
| बेंगलूरु | www.rrbnc.gov.in फ़ोन:080-23330378 | माल्दा | www.rrbmalda.gov.in फ़ोन न: 03512 – 264567 |
| | फ़ोन:080-23334147 | मुंबई | www.rrbmumbai.gov.in फ़ोन: 022 – 67644033 |
| भोपाल | www.rbbpl.gov.in फ़ोन:0755-2746660 | मुज़फ़्फ़रपुर | www.rrbmuzaffarpur.gov.in फ़ोन:0621-2213405 |
| भुवनेश्वर | www.rbbbs.gov.in फ़ोन न:0674-2303015 | पटना | www.rrbpatna.gov.in फ़ोन न: 0612 – 2677011 |
| बिलासपुर | www.rbbilaspur.gov.in फ़ोन: 07752 – 247291 | रांची | www.rbranchi.gov.in फ़ोन:0651-2462429 |
| चंडीगढ़ | www.rbcdg.gov.in फ़ोन:0172-2730093 | सिकंदराबाद | www.rrbsecunderabad.gov.in फ़ोन न:040-27821663 |
| चेन्नई | www.rrbchennai.gov.in फ़ोन: 044 – 28275323 | सिलिगुड़ी | www.rbsiliguri.gov.in फ़ोन: 0353 – 2663840 |

| | | | |
|---------|--|--------------|---|
| गोरखपुर | www.rrbgkp.gov.in फ़ोन: 0551 – 2208009 | तिरुवनंतपुरम | www.rrbthiruvananthapuram.gov.in फ़ोन:0471-2332001 |
|---------|--|--------------|---|

21.0 इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) में प्रयोग हुई संक्षिप्तियाँ :

| | | |
|-------------------------|---|--|
| भर्ती प्रक्रिया के चरण | सीबीटी =कंप्यूटर आधारित परीक्षा | टीएसटी = टंकण कौशल परीक्षा |
| | डीवी =दस्तावेज़ सत्यापन | |
| आरक्षण/आयु में छूट वर्ग | ईवीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस =आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| | भूपू.सै- = भूतपूर्व सैनिक | अपिव-सीएल= अन्य पिछड़ा वर्ग- क्रीमी लेयर |
| | अपिव- एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर | अ.जा. = अनुसूचित जाति |
| | अजजा = अनुसूचित जनजाति | अना = अनारक्षित (सामान्य) |
| दिव्यांग | वीआई=नियमित दृष्टि बाधिता | एचआई = नियमित श्रवण बाधिता |
| | एलडी = नियमित लोकोमोटर अशक्तता | ओडी = नियमित अन्य अशक्तता |
| | एमडी = नियमित बहु अशक्तता | बीवीआई- =बैकलॉग दृष्टि बाधिता |
| | बीएचआई- = बैकलॉग श्रवण बाधिता | बीएलडी- = बैकलॉग लोकोमोटर अशक्तता |
| | बीओडी- = बैकलॉग अन्य अशक्तता | बीएमडी- = बैकलॉग बहु अशक्तता |
| | एएवी=एसिड हमले के शिकार | एएसडी=स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार |
| | वी=नेत्रहीन | बीएल=दोनों पैर |
| | डी=बधिर | डीडब्ल्यू=बौनापन |
| | एचएच=श्रवण बाधिता | आईडी= बैद्धिक दिव्यांगता |
| | एलसी=कुष्ठरोग उपचारित | एलवी=कमजोर दृष्टि |
| | एमडी=मांसपेशीय दुर्विकास | एमडब्ल्यू= मांसपेशीय कमजोरी |
| | ओए=एक हाथ | ओएल=एक पैर |
| | ओएएल=एक हाथ व एक पैर | पीडब्ल्यूबीडी=बेंचमार्ग दिव्यांग व्यक्ति |
| | आरपीडब्ल्यूडी = दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार | एसएलडी= विशिष्ट सीखने की अक्षमताएँ |

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|---|
| रेलवेजोन/उत्पादन इकाई /संगठन | सीएलडब्ल्यू=चित्तरंजन वर्कस्,चित्तरंजन | लोकोमोटिव | म.रे.=मध्य रेलवे |
| | डीएलडब्ल्यू=डीज़ल लोकोमोटिव वर्कस् बाराणसी | | डीएमडब्ल्यू=डीज़ल लोको मोडरनैज़ेशन वर्कस्, पटियाला |
| | पू.रे.=पूर्व रेलवे | | पू.रे.म.=पूर्व मध्य रेलवे |
| | पू.रे.त.=पूर्व तट रेलवे | | आईसीएफ=इंटग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई |
| | एमसीएफ= मोडर्न कोच फैक्टरीरायबरेली , | | एनएआईआईआर = भारतीय रेल की राष्ट्रीय रेल अकादमी |
| | उ.रे.=उत्तर रेलवे | | उ.रे.म.=उत्तर मध्य रेलवे |
| | उरे.पू. = उत्तर पूर्वोत्तर रेलवे | | उ.रे.फ.= उत्तरीय फ्रंटियर रेलवे |
| | उ.रे.प.= उत्तर पश्चिम रेलवे | | पीएसयू=सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम |
| | पीयू=उत्पादन इकाई | | आरसीएफ=रेल कोच फैक्टरी, कपुर्थला |
| | आरडीएसओ= अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन, लखनऊ | | रे.=रेलवे |
| रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) | आरआरबी = रेलवे भर्ती बोर्ड | | आरआरसी=रेलवे भर्ती सेल |
| | आरडब्ल्यूएफ = रेल पहिया फैक्टरी, बेंगलूर | | आरडब्ल्यूपी=रेल व्हील प्लांटबेला , |
| | द.रे.= दक्षिण रेलवे | | द.रे.म.=दक्षिण मध्य रेलवे |
| | द.रे.पू.= दक्षिण पूर्व रेलवे | | द.रे.म.पू.=दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे |
| | द.रे.प.= दक्षिण पश्चिम रेलवे | | प.रे.=पश्चिम रेलवे |
| | प.रे.म.=पश्चिम मध्य रेलवे | | |
| | एडीआई=अहमदाबाद | | एआईआई=अजमेर |
| | पीआरवायजे=प्रयागराज | | बीसीटी=मुंबई |
| | बीबीएस=भुवनेश्वर | | बीपीएल=भोपाल |
| | बीएसपी=बिलासपुर | | सीडीजी=चंडीगढ़ |
| | जीकेपी=गोरखपुर | | जीएचवाई=गुवाहाटी |
| | जेएटी=जम्मू श्रीनगर | | कीओएल=कोलकाता |
| | एमएस=चेन्नई | | एमएलडी=मालदा |
| | एमएफपी=मुज़फ्फरपुर | | पीएनबीई=पटना |
| आरएनसी=रांची | | एसबीसी=बेंगलूर | |

| | | |
|---------|--|--|
| | एससी=सिकंदराबाद | एसजीयूजे=सिलीगुडी |
| | टीवीसी=तुरुवनंतपुरम | |
| सामान्य | सीबीएसई=केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड | सीईएन=केंद्रीकृत रोजगार सूचना |
| | जीपी =ग्रेड वेतन | आईएफएससी= इंडियन फैनान्शियल सिस्टम कोड |
| | जेपीईजी = जाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप | के.बी.=किलो बाइट |
| | एलटीआई=लेफ्ट थंब इंप्रेशन | ओटीपी=वन टाइम पासवर्ड |
| | यूपीआई=यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस | |

• चेतावनी:-

- प्रभाव दिखकार या अनुचित और अनैतिक साधनों के इस्तेमाल से रेलवे में नौकरी दिलाकर कपट करने वाले दलालों और नौकरी दिलाने वाले घोटालेबाजों से सावधान रहें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी ओर से इस हेतु किसी एजेंट(एजंटो) या कोचिंग केंद्र(केंद्रो) की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को ऐसे व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले दावों के बारे में सचेत किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतया योग्यता के आधार पर होता है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फंसे। रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट देखें तथा बेईमान तत्वों/दलालों द्वारा डाली गई फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहें।

अजजा के लिए जाति प्रमाणपत्र/

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/ श्रीमती/ कुमारी*सुपुत्र/सुपुत्री*

गाँव/शहर.....

/जिला/मंडल*.....राज्य/संघराज्यक्षेत्र*.....जाति*/जनजातिसे संबंधित हैं, जिसे

अनुसूचितजाति/ अनुसूचितजनजातिके तहत मान्यता प्राप्त है:-

@ संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.

@ संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.

@ संविधान (अनुसूचित जाति) (संघराज्यक्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघराज्यक्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित आदेश 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित]

@ संविधान (जम्मू व कश्मीर) *अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@ संविधान (अंदमान व निकोबार द्वीप समूह) * अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, * संविधान (दादर व नगर हवेली)* अनुसूचित जाति आदेश, 1962.

@ संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962

@ संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

@ संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@ संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@ संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.

@ संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@ संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

@ संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

@ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

% 2. एक राज्य/संघराज्य क्षेत्रप्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती*.....पिता/माता*.....के श्री/श्रीमती/कुमारी.....निवासी.....

गाँव/शहर*...../जिला/मंडल*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....को अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो.....जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक.....से मान्यता प्राप्त है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/अथवा* उसका* परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....केजिला/ मंडल*..... गाँव/शहर* में सामान्यतःनिवास करता है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र.....

* जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दें।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेशका हवाला दें।

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

टिप्पणी: (क) यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतःनिवास" का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है।जाति/जनजातिप्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी। (1) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टा.इंपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (2) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों। (4) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है। (5)केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिलामजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। (6)प्रशासक/ प्रशासकके सचिव (लक्कादीव, मिनि काँय तथा अमी नदी वीद्वीप)।

अपीव – एनसीएस प्रमाणपत्र प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले
प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुपुत्री/सुपुत्र..... कुमारी/श्रीमती/
.....गाँवसंघ राज्य /राज्यमंडल/जिला.....शहर/
क्षेत्र..... समुदाय से संबंध रखता है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय व
अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में * दिनांक.....
मान्यता प्राप्त है।

श्री अथवा उसका परिवार/और.....*कुमारी/श्रीमती/
.....राज्यसंघ राज्यक्षेत्र के/
करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि/निवासकरता:में सामान्यत.....मंडल/जिला
वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी),
दिनांक 8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति और भारत सरकार (क्रीमीलेयर) वर्ग/, कार्मिक व
प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना दिनांक (आरईएस)27.05.2013 तथा
13.09.2017** द्वारा आशोधित, के अंतर्गत नहीं आता है।

दिनांक:

जिलामजिस्ट्रेट/ उप. आयुक्त आदि
(मुहर)

* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत
उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है।

** समयसमय पर यथा संशोधित।-

a) नोट: यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के
अनुसार ही होगा।

b) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी
मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी
वेतनभोगी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार
के पद से नीचे न हो और उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और / या उसका परिवार रहता है।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या सीईएन _____ के पदों के लिए आवेदन करने वाले
 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप
 "मैं,.....सुपुत्र/सुपुत्री
 जिला...../शहर/गाँव.....श्री.....
राज्यएतद्.....द्वारा
 घोषणा करता हूँ(जाति का उल्लेख करें-अपनी उप)समुदाय.....करती हूँ कि मैं/, जिसे कार्मिक व
 प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या -93/22/36012स्थापना(एससीटी), दिनांक में अंतर्विष्ट आदेशों 8.9.1993
 के अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
 यह भी घोषणा करता हूँ और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 08.03.1993 करती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/
 -2013/1/36033स्थापना की 13.09.2017 27.05.2013 तथा दिनांक (आरईएस)अनुसूची के कॉलम में उल्लिखित 3
 आती हूँ।/के अंतर्गत नहीं आता (क्रीमीलेयर)वग/व्यक्तियों

स्थान:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक:

उम्मीदवार का नाम

सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला (ईडब्ल्यूएस)
आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र क्र ..

दिनांक : _____

वर्ष _____ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है किश्रीकुमारी/श्रीमती/ _____

पुत्रपत्नी/पुत्री/,श्री _____, ग्राममुहल्ला/ _____

डाकघर _____ जिला _____ राज्य संघशासित प्रदेश/

_____ पिन कोड _____ के मूल निवासी हैं, जिनकी फोटो नीचे अनुप्रमाणित है, वे

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष *की सकल वार्षिक आय **उनके परिवार/में उनकी.....8 लाख रुपए उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई/से कम है। उनके (आठ लाख रुपए केवल) भी संपत्ति नहीं है ***

I. 5 एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि;

II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. श्री कुमारी / श्रीमती / _____ उस जाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। (केंद्रीय सूची)

कार्यालयकी मुहर के साथ हस्ताक्षर-----

नाम _____

पदनाम _____

आवेदक का

नवीनतम पासपोर्ट आकार का

अनुप्रमाणित फोटो

* नोट 1: आय के अंतर्गत सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादि शामिल हैं।

** नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में, आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन तथा उसके पति/ पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या शहरों / शहरों में एक 'परिवार' द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ा गया है।

आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और

(iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना सीईएन _____ के पदों के लिए
अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय जमा कराए जाने वाला
परीक्षा शुल्क से छूट की घोषणा का प्रपत्र

मैं, _____ सुपुत्र/सुपुत्रीश्री _____ निवासी गाँव/शहर/नगर
_____ जिला _____ राज्य _____ एतद् द्वारा घोषणा

करता हूँ कि मैं _____ (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग दर्शाए यथा
मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/जोरोस्ट्रियन(पारसी) से संबद्ध रखता हूँ/रखती हूँ।

:तारीख

: उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान :

उम्मीदवार का नाम :

नोट : परीक्षा फीस की छूट का दावा करनेवाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय गैर-न्यायिकस्टाम्प पेपर पर
अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक
समुदाय (अर्थात् मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/जोरोस्ट्रियन(पारसी) के अंतर्गत आता है।

फार्म-V

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(अंगछेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा होने या बौनापन तथा नेत्रहीनता की स्थिति में)

[14 मार्च 2024 की राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) का नियम 18(1)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017] ई गजट पर उपलब्ध → ईगजेट होम → गजट

निर्देशिका → असाधारण → भाग II - खंड 3 उप खंड (ii) → 2024 को देखें

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....जन्म तिथि (तारीख/महीना/वर्ष).....पुरुष/महिला.....

पंजीकरण संख्या..... स्थायी निवासी मकान संख्या.....वार्ड/

गाँव/गली.....डाकघर.....जिला.....राज्य.....का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर

लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि

(क) यह मामला :

• लोकोमोटर अपंगता

• बौनापन

• नेत्रहीनता से ग्रस्त है

(जो लागू हो उस पर सही का चिह्न लगाए)

(ख) उसकी अपंगता का निदान.....

दिशानिर्देशों [14 मार्च 2024 की राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) का नियम 18(1)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017] ई गजट पर उपलब्ध → ईगजेट होम → गजट निर्देशिका → असाधारण → भाग

II - खंड 3 उप खंड (ii) → 2024 को देखें, के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) उसके

.....(शरीर का अंग) में.....की स्थायी शारीरिक अपंगता/नेत्रहीनता.....प्रतिशत (अंकों

में).....प्रतिशत (शब्दों में) है।

आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है।

| दस्तावेज़ की प्रकृति | जारी करने की तारीख | प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा |
|----------------------|--------------------|--|
| | | |

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षरअंगूठे का निशान/
जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी
किया गया है।

फार्म-VI

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(एकाधिक विकलांगता के मामले में) राजपत्र→ इ-राजपत्र होम→ राजपत्र निदेशालय→ असाधारण→ भाग -II खंड 3 उपखंड (ii) →2024 पर उपलब्ध {विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के नियमों, 2017 की 14 मार्च 2024 दिनांक के राजपत्र अधिनियम (असाधारण) का (नियम 18(1)देखें)}

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल की में खींचा गया पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटो जिस में केवल चेहरा दिखे

प्रमाणपत्र संख्या..... : दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्रीकुमारी/श्रीमती/

सुपुत्र.....सुपुत्री/पत्नी/जन्म

तिथि (वर्ष/महीना/तारीख).....पुरुषमहिला/..... पंजीकरण संख्यास्थायी निवासी

मकानसंख्या..... वार्डगली/गाँव/.....डाकघर.....जिलाका ध्यानपूर्वकराज्य.....

परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि:

(A) वह एकाधिक विकलांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक दुर्बलता/विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। (निर्दिष्ट किया जाना है राजपत्र→ इ-राजपत्र होम→ राजपत्र निदेशालय→ असाधारण→ भाग - II खंड 3 उपखंड (ii) →2024 पर उपलब्ध {विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के नियमों, 2017 के 14 मार्च 2024 दिनांक के राजपत्र अधिनियम (असाधारण) का (नियम 18(1) देखें})नीचे दिए गए चिन्हित विकलांगताओं के लिए तथा नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दर्शाए गए हैं:

| क्र. सं. | अपंगता | शरीर का प्रभावित अंग | निदान | स्थायी शारीरिक बाधिता/मानसिक अपंगता (%में) |
|----------|-----------------------------|----------------------|-------|--|
| 1 | लोकोमोटर दिव्यांगता | @ | | |
| 2 | मांसपेशीय दुर्बिकास | | | |
| 3 | कुष्ठरोग उपचारित | | | |
| 4 | बौनापन | | | |
| 5 | मस्तिष्क पक्षाघात | | | |
| 6 | एसिड हमले के शिकार | | | |
| 7 | कमजोर दृष्टि | # | | |
| 8 | दृष्टिहीनता | # | | |
| 9 | बधिर | £ | | |
| 10 | श्रवण बाधिता | £ | | |
| 11 | बातचीत एवं भाषा दिव्यांगता | | | |
| 12 | बौद्धिक दिव्यांगता | | | |
| 13 | विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता | | | |
| 14 | स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार | | | |
| 15 | मानसिक रोग | | | |
| 16 | जीर्ण तंत्रिका की स्थिति | | | |
| 17 | मल्टिपल सिरोसिस | | | |
| 18 | पार्किंसन रोग | | | |
| 19 | अधिरक्तस्राव | | | |
| 20 | थेलेसीमिया | | | |
| 21 | सिकल सेल रोग | | | |

(A) उपर्युक्त को देखते हुए दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक अपंगता निम्नानुसार है:-
 अंकों में% शब्दों में प्रतिशत
 2. उपरोक्त स्थिति बढ़ रही है/नहीं बढ़ रही है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।
 3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन
 (i) आवश्यक नहीं है या
 (ii) वर्ष माह के बाद सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र----- (तारीख/माह/वर्ष) तक वैध होगा।
 @ अर्थात् बायाँ/दायाँ/दोनों हाथ/पैर, # अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें, £ अर्थात् बायाँ/दायाँ/दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किये हैं:

| दस्तावेज़ का स्वरूप | जारी करने की तारीख | प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा |
|---------------------|--------------------|--|
| | | |

1. चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर

| सदस्य का नाम व मुहर | सदस्य का नाम व मुहर | अध्यक्ष का नाम व मुहर |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | |

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
 जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी
 किया गया है।

फार्म-VII

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(फार्म-V व VI में उल्लिखित के अलावा अन्य मामलों में) राजपत्र→इ-राजपत्र होम→राजपत्र निदेशालय→असाधारण→भाग -II खंड 3 उपखंड (ii) →2024 पर उपलब्ध {विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के नियमों, 2017 के 14 मार्च 2024 दिनांक के राजपत्र अधिनियम (असाधारण)

का (नियम 18(1) देखें);

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

प्रमाणपत्र सं

दिनांक

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंनेश्री सुपुत्री/पत्नी/सुपुत्र कुमारी/श्रीमती/ .पंजीकरण सं महिला/पुरुष वर्ष आयु (वर्ष/माह/तारीख) जन्मतिथि पोस्ट गली/गाँव/वार्ड स्थायी निवासी मकान नं जिनका फोटो ऊपर चिपकाया गया है राज्य जिला ऑफिस, का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है और मैं आश्वस्त हूँ कि उनका मामला अपंगता का है। उनकी शारीरिक बाधिता/अपंगता की सीमा के प्रतिशत का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार (.....संख्या और दिशा-निर्देशों के जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) किया गया है और इन्हें नीचे तालिका में उल्लिखित संबंधित अपंगता के सामने दर्शाया गया है :-

| क्र. सं. | अपंगता | शरीरकाप्रभावितअंग | निदान | स्थायीशारीरिकबाधिता/मानसिकअपंगता (%में) |
|----------|--------------------------|-------------------|-------|---|
| 1 | लोकोमोटरदिव्यांगता | @ | | |
| 2 | मांसपेशीयदुर्विकास | | | |
| 3 | कुष्ठरोगउपचारित | | | |
| 4 | मस्तिष्कपक्षाघात | | | |
| 5 | एसिडहमलेकेशिकार | | | |
| 6 | कमजोरदृष्टि | # | | |
| 7 | बधिर | £ | | |
| 8 | श्रवणबाधिता | £ | | |
| 9 | बातचीतएवंभाषादिव्यांगता | | | |
| 10 | बौद्धिकदिव्यांगता | | | |
| 11 | विशिष्टसीखनेकीदिव्यांगता | | | |
| 12 | स्वलीनतास्पेक्ट्रमविकार | | | |
| 13 | मानसिकरोग | | | |
| 14 | जीर्णतंत्रिकाकीस्थिति | | | |
| 15 | मल्टिप्लसिरोसिस | | | |
| 16 | पार्किंसनरोग | | | |
| 17 | अधिरक्तस्राव | | | |
| 18 | थेलेसीमिया | | | |
| 19 | सिकलसेलरोग | | | |

(जोअपंगतालागूनहोउसेकाटदें)

उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक विकलांगता निम्नानुसार है:

1. अंकों में प्रतिशत शब्दों में %.....

2. उपरोक्त स्थिति बड़ रही है/नहीं बड़ रही है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।
पुनर्मूल्यांकन

3. दिव्यांगता का

4. (i) आवश्यक नहीं है या

5. (ii) वर्ष माह के बाद सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र----- (तारीख/माह/वर्ष) तक वैध होगा।

6. @ अर्थात् बायाँ/दायाँ/दोनों हाथ/पैर

7. # अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें

8. £ अर्थात् बायाँ/दायाँ/दोनों कान

.9.4 आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:

| दस्तावेज़ का स्वरूप | जारी करने की तारीख | प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी का ब्योरा |
|---------------------|--------------------|---|
| | | |

प्रतिहस्ताक्षरित

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी

के सरकारी सेवक न होने के मामले में, सरकारी

अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/

चिकित्सा अधीक्षक/ प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर व मोहर)

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृतहस्ताक्षर)

(नाम व मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षरअंगूठे का निशान/
जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी
कीया गया है।

टिप्पणीप्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के -
सरकारी सेवक न होने के मामले में, यह जिले के मुख्य चिकित्सा
अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होने पर ही वैध होगा। प्रमुख नियमों
को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O.)908E),
दिनांकको प्रकाशित किया गया था 31.12.1996।

स्क्राइब की सहायता लेने हेतु घोषणा

टिप्पणी : दृष्टि बाधिता वाले(वीआई) उम्मीदवार/ सेरेब्रल पाल्सी के कारण जिनकी लेखन गति प्रभावित हो/मांशपेशीय दुर्बिकास/ लोको मोटर दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (एक हाथ)/ बौद्धिक दिव्यांगता वाले (स्वलीनता, स्पेसिफिक लर्निंग अपंगता और मानसिक बीमारी) उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित किए जानेवाले स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम
2. रोल नंबर.....
3. सीबीटी केंद्र का नाम.....
4. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता.....
5. दिव्यांगता का प्रकार.....
6. स्क्राइब का नाम.....
7. स्क्राइब की जन्म तिथि.....
8. स्क्राइब के पिता का नाम.....
9. स्क्राइब का पता :
 - (a) स्थायी पता.....
 -
 - (b) वर्तमान पता.....
 -
10. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता.....
-
11. स्क्राइब का उम्मीदवार के साथ संबंध, यदि कोई हो.....

12. घोषणा :

i) हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त ब्योरा सत्य है और हमारे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों के आचरण के बारे में रेलवे भर्ती बोर्ड के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और एतद् द्वारा उनके पालन का वचन देते हैं।

ii) हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि स्क्राइब खुद इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि अगर यह पता चलता है कि वह इस परीक्षा का उम्मीदवार है तो हम दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

iii) हम घोषणा करते हैं कि इस परीक्षा में स्क्राइब ने किसी उम्मीदवार के लिए लिखने का काम नहीं किया है/किसी अन्य उम्मीदवार के लिए इस परीक्षा में लिखने का काम नहीं करेगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(स्क्राइब के हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बक्स में उम्मीदवार के
बाएँ अंगूठे की छाप

उपर्युक्त बक्स में स्क्राइब के
बाएँ अंगूठे की छाप

वीक्षक के हस्ताक्षर

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए टंकण कौशल परीक्षा से छूट हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र सं..... दिनांक:.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री/कुमारी* पुत्र/पुत्री* श्री

..... आयु लिंग
पुरुष/महिला जिनके पहचान चिन्ह नीचे दिये गये है

..... निम्न श्रेणी की स्थायी विकलांगता से ग्रस्त हैं:

- लोकोमोटर या सेरेब्रल पाल्सी:
- बीएलदोनों पैर प्रभावित-, लेकिन हाथ नहीं।
- बीएपकड में कमजोरी(बी) पहुंच में कमी(ए) :दोनों हाथ प्रभावित-
- ओएलअटैक्सिक(सी) पकड़ में कमजोरी(बी) पहुंच में कमी(ए) (दायां या बायां) एक पैर प्रभावित-
- ओएअटैक्सिक(सी) पकड़ में कमजोरी(बी) पहुंच में कमी(ए) (दायां या बायां) एक हाथ प्रभावित-
- बीएच(बैठ या झुक नहीं सकते) पीठ और कूल्हे में अकड़न-
- एमडब्ल्यूमांसपेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।-

फोटो के नीचे बॉक्स में उम्मीदवार के हस्ताक्षर

B.अंधापन या कम दृष्टि: (C) श्रवण बाधित:

- बी-ब्लाइंड (ii) पीबी-आंशिक रूप से अंधा (i) डी-बधिर (ii) पीडी-आंशिक रूप से बधिर

(जो भी श्रेणी लागू न हो उसे हटा दें)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री/कुमारी अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण टंकण कौशल परीक्षा देने में असमर्थ होने के कारण, अर्थात् (जो भी लागू हो, श्रेणी बताएं) को टंकण कौशल परीक्षा से छूट दी जाए।

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनः मूल्यांकन अनुशंसित नहीं है/..... वर्ष. महीने की अवधि के बाद अनुशंसित है।

3. उसके मामले में विकलांगता का प्रतिशत % है।

4. श्रीमती/श्री/कुमारी*निम्नलिखित शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करती हैं:

- एफ-उंगलियों से छेड़छाड़ करके काम कर सकते हैं। हां नहीं
- पीपी-खींचकर और धकेलकर कार्य कर सकता है। हां नहीं
- एल-उठाकर कार्य कर सकते हैं। हां नहीं
- के.सी.-घुटने टेककर/झुककर काम कर सकते हैं। हां नहीं
- वी-झुककर काम कर सकते हैं। हां नहीं
- एस-बैठे-बैठे काम किया जा सकता है। हां नहीं
- एसटी-खड़े होकर काम कर सकते हैं। हां नहीं
- W-पैदल चलकर काम किया जा सकता है। हां नहीं
- एसई-देखकर काम कर सकते हैं। हां नहीं
- H-सुनकर/बोलकर कार्य कर सकते हैं। हां नहीं
- आरडब्ल्यू-पढ़कर और लिखकर काम कर सकते हैं। हां नहीं

सदस्य, मेडिकल बोर्ड

सदस्य, मेडिकल बोर्ड

सदस्य, अध्यक्ष, मेडिकल बोर्ड

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते
स्थान :

दिनांक:

चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल प्रमुख
के प्रतिहस्ताक्षर (मुहर सहित)

नोटः (i) दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 18 (1) 2017, जिसे दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2017 की उप-धारा (i) और (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 14.03.2024 को अधिसूचित किया गया है, के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक मेडिकल बोर्ड होगा। राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति गति/श्रवण और वाणी का आकलन करने के लिए विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। (ii) जिनकी दिव्यांगता अस्थायी है, उनके लिए प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। जिन लोगों ने स्थायी दिव्यांगता प्राप्त कर ली है, उनके लिए वैधता को स्थायी के रूप में दिखाया जा सकता है।

40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र

यहां अपनी विकलांगता को दर्शाते हुए हाल ही में खींची गई रंगीन तस्वीर चिपकाएं (तस्वीर मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए)

- धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है, अर्थात् व्यक्ति 40% से कम विकलांगता और लिखने में कठिनाई होना। यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती -----(उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री -----, ए की जांच की है। निवासी -----(ग्राम/पीओ/पीएस/जिला/राज्य), आयु-----वर्ष, -----रोगग्रस्त व्यक्ति विकलांगता/स्थिति की प्रकृति), और बताएं कि उसकी/उसकी कुछ सीमाएं हैं जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा डालती हैं। परीक्षा लिखने के लिए उसे लेखक के सहयोग की आवश्यकता होती है।
- उपर्युक्त अभ्यर्थी सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र का उपयोग करता है (नाम बताएं), जो अभ्यर्थी के लिए लेखक की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।
- यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह अधिकतम छह महीने या उससे) तक वैध होता है ----- कम अवधि के लिए वैध होता है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

चिकित्सा प्राधिकारी का हस्ताक्षर

| (हस्ताक्षरऔरनाम) | (हस्ताक्षरऔरनाम) | (हस्ताक्षरऔरनाम) | (हस्ताक्षरऔरनाम) | (हस्ताक्षरऔरनाम) |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ | नैदानिक मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक/विशेषशिक्षक | न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो) | व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो) | अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो (यदि कोई हो) |
| (हस्ताक्षरऔरनाम) | | | | |
| मुख्यचिकित्साअधिकारी/सिविलसर्जन/मुख्यजिलाचिकित्साअधिकारी -----अध्यक्ष | | | | |

चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मुहर सहित)

स्थान :
दिनांक:

40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र

यहां अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं, जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो (रंगीन फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

फोटो के नीचे उपर्युक्त बॉक्स में स्क्राइब के हस्ताक्षर

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति द्वारा लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति दिया गया वचन पत्र।

1. मैं ----- उम्मीदवार हूँ, जिसकी विकलांगता/स्थिति की प्रकृति ----- है, मैं -----(परीक्षा का नाम) रोल नं. ----- के साथ -----(केंद्र का नाम) जिला -----, -----(राज्य का नाम) में उपस्थित हो रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता ----- है।

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ----- (लेखक का नाम) उपर्युक्त परीक्षा लेने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता के लिए लेखक की सेवा उपलब्ध कराएगा।

3. मैं यह वचन देता हूँ कि उसकी योग्यता ----- है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से परे है, तो मैं प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि उम्मीदवार नाबालिग है तो माता-पिता/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक:

सीईन संख्या _____ के अंतर्गत लेसिक या अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा के संबंध में ट्रेन लिपिक के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला स्व-घोषणा का प्रारूप

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी

.....पुत्र/पुत्री

..... निवासी

..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने LASIK या कोई अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा नहीं कराई है।

मैं यह भी सहमत हूँ कि यदि मेरी घोषणा झूठी पाई गई तो मुझे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और रेलवे में सभी भर्तियों से वंचित कर दिया जाएगा।

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर.....

नाम.....

आरआरबी पंजीकरण सं.

उम्मीदवार का स्वयं-सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ जो एक महीने से अधिक पुराना न हो

उपर्युक्त बॉक्स में फोटो के नीचे उम्मीदवार का हस्ताक्षर

नियोजित अधिकारियों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. यह सूचित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती _____ जो _____ (यूनिट/कार्यालय) में _____ (रैंक) के रूप में कार्यरत हैं, ने _____ (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा विज्ञापन संख्या _____ दिनांक _____ के तहत विज्ञापित _____ पद के लिए आवेदन किया है।

2. मैं, उपलब्ध सूचना के आधार पर, श्री/कुमारी/श्रीमती _____ (नाम) संख्या _____ (रैंक) के संबंध में निम्नानुसार प्रमाणित करता हूँ:-

i. वह भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए _____ वर्ष (शब्दों में) की निर्धारित अवधि पूरी कर लेगा, बशर्ते कि अन्य शत पूरी हों, _____ (तारीख) को। श्री/कुमारी/श्रीमती _____ अनापत्ति प्रमाण पत्र की तिथि को _____ वर्ष की सेवा (शब्दों में) पूरी कर लेगा और सैन्य सेवा छोड़ने के समय _____ वर्ष की सेवा (शब्दों में) पूरी कर लेगा।

ii. पद पर चयन होने पर उसे सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान:
दिनांक:

कमान अधिकारी:
(हस्ताक्षर)
कार्यालय मुहर

डीओपीटी पत्र संख्या 36012/3/2021-स्था.(आरक्षण-II) दिनांक 27.02.2023

भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर सिविल रोजगार के संबंध में प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणापत्र

मैं समझता हूँ कि मैं इस केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) के अंतर्गत भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर सिविल सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित) में कोई रोजगार प्राप्त किया हो।

मैं इसके साथ ही निम्नलिखित तथ्य भी घोषित करता हूँ:

a) सीईएन _____ के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने से पहले, मैंने भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई भी सिविल रोजगार हासिल नहीं किया है।

b) मैंने सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाया है और मैंने सिविल रोजगार ग्रहण करने से पहले केंद्रीय रोजगार सूचना कार्यालय _____ में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन(ओं) के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन दिया है, जिसके लिए मैंने आवेदन किया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व-घोषणा/वचन प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (जो लागू न हो उसे काट दें)।

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर:
नाम:
रोल नं.:

केवल उम्मीदवारों की जानकारी के लिए

लेसिक सर्जरी से गुजर चुके उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस

रेलवे बोर्ड पत्र सं 2022/H/5/1/NER/Dalbir दिनांक 25.08.2022

| विवरण | चिकित्सा परीक्षण श्रेणी | टिप्पणी |
|---|-------------------------|--|
| उम्मीदवार जिन्होंने LASIK सर्जरी करवाई है | ए1 | अयोग्य |
| | ए2 | |
| | ए3 | |
| | बी1 और बी2 | "उपयुक्त" निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन: 1. उम्मीदवार में LASIK सर्जरी के बाद LASIK सर्जरी से संबंधित कोई जटिलता नहीं देखी गई है। 2. लेसिक सर्जरी कम से कम एक वर्ष की अवधि की होनी चाहिए और इसकी पुष्टि उस संस्थान के विशेषज्ञ द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र से होनी चाहिए जहां सर्जरी की गई थी। 3. लेसिक सर्जरी के बाद "अवशिष्ट कॉर्नियल मोटाई" पैकीमेट्री पर 425 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। 4. आईआरएमएम खंड I, तृतीय संस्करण 2000 के पैरा 512(1) (ए) के अनुसार दृश्य तीक्ष्णता। 5. फंडस सामान्य होना चाहिए। 6. प्रगतिशील नेत्ररोग का कोई सबूत नहीं। |
| | सी1 और सी2 | "उपयुक्त" |

CEN- 06/2024: POST PARAMETERS

| क्र.सं. | कोटि सं. | पद का नाम | 7वें सीपीसी में स्तर | वेतन (₹) | चिकित्सा मानक | बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्ता (PwBD) | | | | | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
|---------|----------|------------------------|----------------------|----------|---------------|--|-----------|---|------|--------|---|
| | | | | | | व्हीआई | एच आई | एल डी | ओडी | एम् डी | |
| 1 | 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | 21700 | बी2 | नहीं | डी, एच एच | ओए, ओएल, एम डब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही | नहीं | हाँ | कुल 50% सहित 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक और 12वीं (+2 स्तर) से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में 50% अंकों पर जोर नहीं दिया जाना है |
| 2 | 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | 19900 | सी2 | एलव्ही | डी, एच एच | ओएल, बीएल, एमडब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही | नहीं | हाँ | कुल 50% सहित 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक और 12वीं (+2 स्तर) से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में 50% अंकों पर जोर नहीं दिया जाना है. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी/हिंदी में टंकण प्रवीणता आवश्यक है. |
| 3 | 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | 19900 | सी2 | बी, एलव्ही | डी, एच एच | ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही | नहीं | हाँ | कुल 50% सहित 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक और 12वीं (+2 स्तर) से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में 50% अंकों पर जोर नहीं दिया जाना है. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी/हिंदी में टंकण प्रवीणता आवश्यक है |
| 4 | 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | 19900 | ए3 | नहीं | एच एच | ओए, ओएल, एएव्ही | नहीं | हाँ | कुल 50% सहित 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक और 12वीं (+2 स्तर) से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में 50% अंकों पर जोर नहीं दिया जाना है |

संक्षिप्तीकरण: एएवी=एसिड अटैक पीड़ित, बी=अंधा, बीएल=दोनों पैर, डी=बहरा, डीडब्लू=बौनापन, एचएच=सुनने में कठिनाई, एचआई=श्रवण दोष, आईडी=बौद्धिक विकलांगता, एलसी=कुष्ठ रोग ठीक हो गया, एलडी=चलने-फिरने में अक्षमता, एलवी=कम दृष्टि, एमडी=एकाधिक विकलांगता, एमडब्लू=मांसपेशियों की कमजोरी, ओए=एक हाथ, ओडी=अन्य विकलांगता, ओएल=एक पैर, ओएएल=एक हाथ और एक पैर, पीडब्ल्यूबीडी=बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, एसएलडी=विशिष्ट सीखने की अक्षमताएँ, वीआई=दृश्य हानि।

सीईएन. 06/2024 - रिक्त तालिका

आरआरबी-वार, रेलवे/पीयू-वार और पोस्ट-वार रिक्तियां सभी अधिसूचित पदों के लिए

आरआरबी-अहमदाबाद

| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.से | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | WR | 63 | 23 | 12 | 40 | 17 | 155 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | WR | 23 | 8 | 2 | 8 | 5 | 46 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | NAIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | WR | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 91 | 32 | 16 | 48 | 23 | 210 | 20 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

आरआरबी- अजमेर

| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.से | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | NWR | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | NWR | 30 | 6 | 4 | 14 | 6 | 60 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 38 | 7 | 5 | 14 | 7 | 71 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

आरआरबी - बैंगलुरु

| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.सै | वी आई | एच आई | एन डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | SWR | 19 | 7 | 4 | 13 | 5 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | SWR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | SWR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | RWF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 25 | 10 | 4 | 16 | 5 | 60 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - भोपाल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.से | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | WCR | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | WCR | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WR | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | WCR | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 30 | 6 | 5 | 12 | 5 | 58 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - भुवनेश्वर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.से | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | ECoR | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | ECoR | 11 | 4 | 2 | 8 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | ECoR | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 22 | 9 | 7 | 13 | 5 | 56 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - बिलासपुर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.सं | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | SECR | 19 | 5 | 3 | 9 | 3 | 39 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | CR | 21 | 12 | 8 | 26 | 9 | 76 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | SECR | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | SECR | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 59 | 22 | 13 | 44 | 14 | 152 | 16 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - चंडीगढ़ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.सं | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | NR | 35 | 14 | 7 | 25 | 10 | 91 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | NR | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | NR | 49 | 18 | 13 | 32 | 13 | 125 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | NR | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 97 | 36 | 23 | 65 | 26 | 247 | 24 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - चेन्नई | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.सं | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | SR | 18 | 3 | 7 | 6 | 5 | 39 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | ICF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | SR | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | ICF | 32 | 8 | 3 | 1 | 3 | 47 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | SR | 36 | 12 | 8 | 17 | 6 | 79 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 99 | 27 | 21 | 31 | 16 | 194 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - गोरखपुर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.सं | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | NER | 47 | 16 | 11 | 22 | 11 | 107 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | NER | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | NER | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 54 | 18 | 11 | 25 | 12 | 120 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - गुवाहाटी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.सं | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | NFR | 32 | 12 | 7 | 22 | 9 | 82 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | NFR | 13 | 5 | 2 | 8 | 3 | 31 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | NFR | 22 | 9 | 4 | 16 | 8 | 59 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | NFR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 69 | 26 | 13 | 47 | 20 | 175 | 19 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - जम्मू-श्रीनगर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|---|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.सं | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | NR | 37 | 14 | 7 | 25 | 9 | 92 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | DLM PATIALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | RCF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | DLM PATIALA | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | NR | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | RCF | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | NR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| कुल | | | | 65 | 23 | 11 | 37 | 11 | 147 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| आरआरबी - कोलकाता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.से | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | ER | 29 | 18 | 26 | 0 | 0 | 73 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | SER | 17 | 6 | 4 | 13 | 5 | 45 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | ER | 19 | 8 | 2 | 12 | 5 | 46 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | SER | 35 | 13 | 6 | 23 | 9 | 86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | ER | 59 | 10 | 12 | 27 | 8 | 116 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | SER | 35 | 11 | 4 | 16 | 5 | 71 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | ER | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 200 | 68 | 55 | 95 | 34 | 452 | 47 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - मालदा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.से | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | ER | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | SER | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - मुंबई | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|---|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.सं | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | CR | 153 | 56 | 28 | 102 | 33 | 372 | 38 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | SCR | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WR | 44 | 17 | 7 | 22 | 14 | 104 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | CR | 12 | 4 | 5 | 11 | 4 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | WR | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | CR | 45 | 15 | 9 | 25 | 8 | 102 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | SCR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | WR | 18 | 6 | 2 | 11 | 6 | 43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | CR | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 290 | 103 | 55 | 182 | 69 | 699 | 69 | 4 | 16 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| आरआरबी - मुजफ्फरपुर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.सं | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | ECR | 26 | 9 | 5 | 17 | 6 | 63 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | ECR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| कुल | | | | 28 | 10 | 5 | 18 | 7 | 68 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| आरआरबी - पटना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.से | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | ECR | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | ECR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | RWP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - प्रयागराज | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.सै | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एलडी | बी-ओडी | बी-एमडी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | NCR | 225 | 45 | 26 | 22 | 10 | 328 | 32 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | NCR | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | NCR | 19 | 3 | 4 | 7 | 5 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | NCR | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 254 | 51 | 31 | 35 | 18 | 389 | 38 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

आरआरबी - रांची

| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | इंडब्ल्यूएस | कुल | भू.से | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | ECR | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | SER | 24 | 9 | 5 | 16 | 6 | 60 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | SER | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 29 | 12 | 7 | 20 | 8 | 76 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - सिंदराबाद | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.से | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | SCR | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 32 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | लेखा लिपिक सह टंकक | 2 | SCR | 15 | 6 | 2 | 10 | 4 | 37 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | SCR | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 42 | 16 | 7 | 17 | 7 | 89 | 9 | 19 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी - सिलीगुड़ी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.से | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | NFR | 15 | 6 | 3 | 11 | 4 | 39 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टंकक | 2 | NFR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 17 | 6 | 3 | 12 | 4 | 42 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

आरआरबी - तिरुवनंतपुरम

| कोटि सं. | पद का नाम | पे स्तर | रेलवे/ पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | यू आर | एस सी | एस टी | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | कुल | भू.सं | वी आई | एच आई | एल डी | ओ डी | एम डी | बी-वीआई | बी-एचआई | बी-एल डी | बी-ओ डी | बी-एम डी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | वाणिज्य सह टिकिट लिपिक | 3 | SR | 38 | 16 | 14 | 23 | 11 | 102 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक सह टिकिट | 2 | SR | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ट्रेन लिपिक | 2 | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | | 42 | 17 | 16 | 25 | 12 | 112 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल योग (सभी आरआरबी) | | | | 1563 | 504 | 311 | 762 | 305 | 3445 | 342 | 39 | 73 | 78 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

संक्षिप्तीकरण: एएवी=एसिड अटैक पीड़ित, बी=अंधा, बीएल=दोनों पैर, डी=बहरा, डीडब्लू=बौनापन, एचएच=सुनने में कठिनाई, एचआई=श्रवण दोष, आईडी=बौद्धिक विकलांगता, एलसी=कुष्ठ रोग ठीक हो गया, एलडी=चलने-फिरने में अक्षमता, एलवी=कम दृष्टि, एमडी=एकाधिक विकलांगता, एमडब्लू=मांसपेशियों की कमजोरी, ओए=एक हाथ, ओडी=अन्य विकलांगता, ओएल=एक पैर,ओएएल=एक हाथ और एक पैर, पीडब्ल्यूबीडी=बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, एसएलडी=विशिष्ट सीखने की अक्षमताएँ, वीआई=दृश्य हानि।